

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Suresh Kataadi. Gopalsamy. Not there. Shri Satya Prakash Malaviya.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1985 [To amend article 324].

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Madam, I introduce the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Gopalsamy. Not there. Now, we take up the Legislative Councils (Composition) Bill, 1981. Mr. Dhabe to continue his speech.

# **THE LEGISLATIVE COUNCILS (COMPOSITION) BILL, 1981—Contd.**

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam, . . .

SHRI RAMANAND YADAV (Bihar): What is the use of bringing this? *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: That was for Andhra Pradesh.

SHRI S. W. DHABE: You are from Bihar. The Legislative Council is not abolished in Bihar. *(Interruptions)*

SHRI RAMANAND YADAV (Bihar): We will oppose the Andhra Pradesh Resolution. *(Interruptions)*

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): There is no inconsistency. If the Government is for total abolition, then it is a different thing. Here the Council exists. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dhabe, please continue.

SHRI S. W. DHABE: Madam Deputy Chairman, I am surprised to hear from my friends that the Bill is not necessary. Under Article 168 of the Constitution, there is a provision for constituting the Legislative Council in a State. There is also a provision for abolition of the Legislative Council.

The Legislative Council can be created again. It is not that if the abolition takes place, the Council cannot be again created. If you know the history of Andhra Pradesh, there was no Legislative Council in the beginning. In 1956, when the Reorganisation of States took place, there was a resolution passed by the Andhra Pradesh Legislative Assembly to create the Council and the Council was created. Now, if they want to abolish it, it is a different matter. I would just like to tell Mr. Sukul and Mr. Ramanand Yadav and others that the section is very clear on the matter.

[The Vice-Chairman (Shri Powan Kumar Bansal) in the chair.]

The article provides that for every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, etc.—two Houses. I will like to quote Article 169 of the Constitution. It says:

"169. (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting."

"(2) Any law referred to in clause (1) shall contain such provisions for the amendment of this Constitu-

[Shri S. W. Bbabe]

tion as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary".

Therefore, the power is very clear in the Constitution itself to create Legislative Councils or to abolish them whenever that is desired by an Act of Parliament. The Councils still exist in Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh and so on. I have already made my submission in my speech during the last sitting. I want to add something more to what I have already said. Now, the whole idea of the Upper House is to have functional democracy. After the working of the Act, it has been found that it is restricted to graduates, teachers and local bodies whose representatives are elected to the Upper House. Even in the graduate constituency the thinking is that merely constituting the graduate constituency is not sufficient because the university law provides for faculty-wise representation. Here, the majority of the representatives are from Arts and Commerce and very few graduates in agriculture or engineering get a chance to be elected as M.L.C.'s to House. Therefore, one of the provisions which I have provided says that in the existing graduate constituencies or teachers' constituencies there should be a representation of agriculture and engineering faculties. The second thing which I have provided is about one-twelfth electorates of members of trade unions and commercial and industrial bodies within the State. I have provided one-twelfth for teachers and one-twelfth for graduates. This functional democracy is not a new concept. It is already in existence in a few countries like Ireland, Canada, West Germany and even in our own country. In the 1935 Government of India Act the representation was not on the basis of adult franchise in the Legislative

Assemblies and in the Centre. But it was on the basis of different interests; and these two interests were given representation in the Parliament of that time, the Indian Federal Assembly. The trade unions were given seven seats and commerce and industry was given 11 seats. The main areas from where they were elected were Madras, Bombay, Bengal, and C.P. and Barar Provinces. Even in the Provincial Assemblies of that time there were provisions for electing trade union representatives to the Provincial Assemblies. Madras had six constituencies for trade unions, Bombay had seven, and the C.P. and Barar had two. Similar was the provision for representation of the managements of the industries and the commercial undertakings, including the plantations. Therefore, this concept

of functional representation is not new. In fact, the Upper House can be treated as economic Parliament and this representation could be considered every essential, it is very essential that labour and management, which are considered to be the main instruments of higher production and creating wealth in the country should find representation in the House.

Sir, the Royal Commission on Labour examined this question in 1931 and stated as follows:

"Dealing first with the latter aspect of the question, we would observe that there are several directions in which the adequate representation of labour should benefit both itself and the community. In the first place, the presence of representatives able to voice the desires and aspirations of labour and to translate these in to concrete proposals is essential for the proper consideration of measures specially affecting labour. But the welfare of labour does not depend purely on what may be called labour measures; it also depends on the whole trend of policy and legislation. More adequate representation of labour is necessary for its protection (his

Inspect and, if given the opportunity, organised labour can make a valuable contribution to the wise government of the commonwealth. Further, the proper representation of labour is itself educative: the recognition of its claims as a part of the political process will bring increased responsibility and a sense of unity with the community as a whole. Conversely, exclusion of labour from a fair share in the councils of the nation will inevitably drive it to rely unduly on other means of making itself felt, with injury to itself and to the nation."

these were the observations which were in fact responsible for giving representation to the working class and the management in the Provincial Assemblies and also in the Federal Assembly. In fact, the local bodies also made a provision for trade union constituencies. Now, with the Constitution which we adopted, the new trend which we wanted to have was to have parliamentary democracy, and elections on the basis of adult suffrage. Therefore, the provisions that were made for the Legislative Assemblies on the basis of different interests, on the basis of caste or community—the Christians and other communities—were all abolished and it was a wise step. But so far as the Councils are concerned, I am definitely of the opinion that two Chambers are always useful for discussing the problems and having a consensus. The Upper House can correct any mistakes made by the Lower House. And there is a greater opportunity for what we call the parliamentary legislative review, as we say judicial review in the Supreme Court, etc. The idea is that we can have a second discussion on the Bills passed by the Lower House. Now, the provision of Legislative Council which has been made is in the Representation of People Act based on article 171 and is under section 10 which says that allocations in the Council of States having such Council shall be in the Third

Schedule and for the legislature of each State, in the First Schedule. Then they have given the number of seats allocated. Fourth Schedule gives the constituency of local bodies and what will be covered by it. I do not find any rationale, subject to what the Law Minister says.

On giving representation graduates and teachers. I feel certainly the teachers as a class deserve representation. For Graduates as a class, their representation may be based on the feeling that people are illiterate and so educated people cannot be elected in the general elections and, therefore, such graduates were sought to be brought into the Upper House. But the most important sector is there and the Government and in fact every planner had said that without the cooperation of this sector that is, labour, and the capital, no progress is possible in our country, and it is with this objective that I have brought the Bill. I have also given procedure for elections. We will have a qualifying clause. I have suggested in clause 5 that for this purpose elections will be based on the scheme of proportional representation by means of single transferable vote and the qualifying clause is just based on the clause which at present prevails. So far as trade unions are concerned, in the University Acts it is stated that if the trade union is of a 5 years' standing, having membership of 5 years, then its members shall be entitled to be the voters in the constituency. Similarly I have proposed that only permanent employees shall have the right to vote. I have also suggested that in the case of commercial and industrial bodies, it must be a registered society of more than 5 years with a minimum of 50 members so that all the members can take part.

About the eligibility clause, I have given that if the membership goes down, then automatically they will be deleted from the electoral rolls and also it has been provided that those who have got registered offices within

[Shri S. W. Dhabe] the State alone shall have the right to take part in the elections.

I need not mention all the other provisions which are similar as provided in the old legislation. I have made reference in clause 9 so that the same terminology as in the Representation of People Act, could be used in this legislation.

Now, clause 10 is very important. Under article 171(5) Governor has the right to nominate on the Council only from among the persons having special knowledge or practical experience in respect of art, cooperative movement, literature, science and social service. But journalism and physical education, technology and sports are all types of categories are included nominations and I have, therefore, suggested that it is very necessary that

all types of categories are included because these are all very important, like journalism physical education and sports and I have suggested amendment to widen the scope for nomination of such persons who will be very useful and whose participation will be fruitful in the deliberations in the Upper House. In clause 2 I have said that Government can make rules in the matter of allocations, in the matter of voters and other incidental matters. I, therefore, suggest that Bill is meant as a means to provide wider representation, to give wider representation, to different interests in the country. This should be accepted especially when the Constitution itself provides that Parliament has the power to change the

composition of the Legislative Councils when it feels necessary. I think it is high time working class is given representation. The working class movement has come to stay. Similarly, the employers are also well-organised. Under these circumstances, I feel that my Bill may be accepted by the Government.

Thank you.

-SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra). Vice-Chairman Sir, Senior member of this August House, Shri Dhabe has brought this private members resolution. This is a very ambitious resolution. In this resolution he expressed his views about the Legislative Assembly and Legislative Council. Our socialism and democracy have a great ancient History. Chattrapati Shivaji Maharaj, Maharana Pratap. Laxmibai the queen of Mahatma Gandhi gave the message of freedom to this country. They abolished the slavery in this country from time to time. Now we are living in Freedom. There must be equal opportunity to all the sections of the society. The time has come to think over this. There were representatives from all the sections of the society in British period also.

Now we have different houses like Legislative Assembly, Legislative council, Lok Sabha and Rajya Sabha, to discuss all types of issues. Representatives of the people raise their

problems, discuss them and solve them in these houses. I think Dhabe Sahib must have thought over the reconstruction of the Houses and providing representation to all sections of society. Dhabe Sahib was an active Congress worker. He spent his life in organizing the Congress workers. As that time he was concerned with problems of the workers and poor people. He knew how important this question was, that workers and poor people had no real representative to, raise their voice in the forums of Lok Sabha or Legislative Assembly. Just now my friend Mr. Bhardwaj announced that government is bringing a resolution to provide representation to workers and students in the Legislative Council. I hope the government will take proper steps in this regard. I feel that government will take steps as early as possible.

'English translation of the original speech in Marathi.

Vice-Chairman Sir, Legislative Assembly and Legislative Council are very important houses at the state level. There representatives of the people raise their questions and problems. All the sections of the house discuss the issues and government comes forward with the solution. At state level the Legislative Assembly and Legislative Council have big responsibility of solving the problems of the people. The government takes into account of various suggestions made by the representatives of the people. But some of the states are to abolish the Legislative Council. Some time back Andhra Pradesh Legislative Assembly passed a resolution to abolish the Legislative Council of Andhra Pradesh. I don't know what was their purpose. Whenever a new party comes to power it wants to change the complexion of the Legislature, to suit their political interests. This is dangerous for the future of the democracy and the nation. This question does not belong to ruling party or the opposition, party. For the better future of the democracy we have to ponder over this question. I think that we have to give opportunity to provide representation to all sections of society in the Legislative Councils and Legislative Assemblies.

Vice-Chairman Sir, I know that there are representatives from teachers associations and local self government institutions in Maharashtra Legislative Council. We know that in our freedom, movement farmers, labours, mill workers and other labours were active. Now a days elections are very costly. They are not able to contest elections. But I think that they must get representation in legislative councils. This is my suggestion. Some times we discuss the problem of the students, but we do not have thorough understanding of their problems. So there must be one student representative in each legislative council. After completion of college and University education we forget the problem of student. So my suggestion is that there must be 327 RS—8

one students' representative in legislative council in each state. Their actual representation may be decided by legal experts.

My next point is about representation of women in legislative Assembly and Legislative Council. There are 50 to 52 per cent women in our country. But in Legislative Assembly, Legislative Council, Lok Sabha and Rajya Sabha there are only 2-3 women representatives. I think there are only two castes men and women. Today there is no provision to give 50 per cent representation to ladies. But my suggestion is that there must be 50 per cent women representatives in Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly and Legislative Council. Our society is male dominated society which will not agree to give 50 per cent representation to women. But now time has changed. In Japan and Korea ladies are working equally with men.

Ladies are working in factories, electronic industries and working as conductor in buses in Korea and Japan. So I think that there must be equal representation to women. In Panchayat samities, Zilla Parishads, Municipal Corporation, Legislative Assembly and Legislative councils also 50 per cent representation to women should be ensured. Vice-Chairman Sir, Shri Tarkatirtha Laxman Shastri Joshi was a great scholar in Marathi literature. Gandhiji invited Shri Laxman Shastri Joshi as a family priest on his son's marriage ceremony because no other Brahmin priest were not ready to attend that marriage ceremony. In those days Brahmin in our country did not have advanced views, but Gandhiji had progressive views. So they decided to boycott the marriage ceremony of Mahatma Gandhi's son. That time Shri Joshi expressed his views as follows. Family is like a University to the children. In this university father is the Chancellor and mother is the Vice-Chancellor. Children start their education in their family. If father and mother

are cultured and patriot, their children will also be patriot. They will never

[SHRI S. W. Dhabe]

become traitor. Progress does not mean spending lot of money, establishing big industries and starting power projects. We have to teach the children in the childhood that about patriotism, our culture and loyalty to the nation. By doing that we will be able to make our country great. I feel that we have to reconstruct our society. Our secularism has a long tradition but what find today is quite different. Different situation prevails in rural areas. There is always tension among different communities and regions. It is apprehended that this type of attitude will lead to downfall of the man kind. To avoid all this we have to think over how to reconstruct over society. We have to go to the root of this problem. To reconstruct the society we have to give representations to all sections of society, in Legislative Assembly and Legislative Council at the state level.

Vice-Chairman Sir, we have to see who, are the members of Legislative Assembly and Legislative Council of the states? Most of the M.L.As and

M.L-Cs are the followers of powerful Ministers. There must be representation to the mill workers as well as small farmers in Legislative councils. There are some small farmers and workers in the society who can't contest election. No party will be ready to give them ticket. In our country 80 per cent people are farmers. Out of them 75 per cent farmers are small farmers and are holding 2, 3 or 5 acres of land. There is no such difference between small farmers and workers. Land is less in the proportion to populations. Land is divided into pieces of 2 or 3 acres. And that is why the economical condition of the small farmers and workers is the same, therefore, I feel that there must be representation to the small farmers in the Legislative Council.

Scientists, Technicians, and agronomists, Engineers and experts of

different subjects are wheels of our country's progress. They must get representation in the Legislative Council. When there are representatives from all section of society, and representative of the poor people living below the poverty line, then only our democracy will be successful democracy. We have to think in this direction also.

Government is proposing to bring a resolution regarding Legislative Council. I congratulate the Government for this. Our Congress Government has guided the nation for last so many years. The Congress Government give direction of socialism to the nation. So that India rose as a powerful nation in the world. We have to formulate such scheme as could develop Intelligence into strength. When we are thinking in this manner we have to consider giving representation to various section in the different Houses. This was the dream of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Mrs. Indira Gandhi. There were always tears in Mrs. Indira Gandhi's eyes, when she saw injustice being meted out to any person belonging to backward class or backward tribes. She was the champion of poor and down trodden people. She tried her level best to help the people who were living below the poverty line. She tried to eradicate the poverty in this nation.

Now there is a need of fundamental revolution in the field of agriculture, science, technology, engineering and industry. If we are real representatives of the poor and down trodden people we have to solve these problems keeping in view their social and legal significance. Party system in this country has posed some questions which are dangerous for the future of this nation. We have to think over this continuously in near future.

Vice-Chairman Sir, I have already given some suggestions in this regard the main question is how will be able

to give representation to the people of all section this society in the different legislative bodies. We have to give them political and social status. The time has now come think over it once again. My friend Mr. Bhardwaj is bringing a resolution in this regard. It will be presented in the next Lok Sabha Session. I hope he will think over the suggestion giving by the members of this house. There is a question of poor man who is living below the [jverty line. We have to raise the voice of poor people in the nation and highlight their misery and suffering. If we want to achieve welfare of poor people we have to give them representation in the different houses, so that he will be able to raise his voice in the houses. He is not aware of his rights at the present. He must become respectable citizen of this nation. India will never become powerful till there is inferiority complex in the minds of the people. Presently they are castes minded. There must be psychological change in the minds of citizens. There is need to amend the present laws. Our constitution was framed 35 years ago. There were some loopholes in our constitution. Necessary steps must be taken to give justice to the poor people. For this the composition of legislature bodies must be changed. My friend Mr. Dhabe has brought this resolution for providing the representation to trade unions and mill workers. On this pattern if I suggest that there must be representation to agricultural workers, small farmers, students, and economically backward people, and to those also who can't bear the expenditure of election. Except Dhabe Sahib no body knows Marathi language in this house. You 'nave listened to me patiently. I spoke in Marathi be-cause marathi is my mother tongue, and it is very cultural and rich language. Once upon a time this language was "dely known and impressed the nation. More than thousands of Abhangas (stanzas) of Sant Nardeo are included in Guru Granth Sahib of

Sikhs. The social movement was always in this country due to Maharashtrian saints like Namdeo, Tuka-ram and Dhyaneswar. They taught socialism to this country by their Abangas and Kertanas. They taught the people that, this country is great country, its culture is a great culture and its religion is great religion. They also taught the secularism to this nation. They taught secularism not only to this nation but to all the world. Marathi is cultural and a great language. I am thankful to you, that you have given me this opportunity to speak in Marathi. In the end I could like to read a poem of acclaimed court poet Yashwant. He wrote his poem on the death of this mother. The poem is as follows:—

Oh mother! some one call to her mother.

That call feels me an auspicious Calfs are with cows in cowpen Sparrows are feeding their cubs Seeing that my soul is distressed Even the Lord of universe is beggar without mother

Oh mother oh mother' oh mother!!!

I feel attached to my mother tongue is like my mother. Therefore. I speak in my mother tongue in the House. People are quarreling on language issues. But Marathi speaking people never do it. We Maharashtrian are proud of our mother tongue Marathi. Therefore, I expressed my views in Marathi. I am thankful to you Sir, for giving me this opportunity.

श्री: कलाशयति मिश्र (बिहार) :  
अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो व्यवस्थाएँ की गई हैं इसका भी विचार करना आवश्यक है कि उसकी कितनी उपेक्षा हो रही है. कितनी अवहेलना हो रही है ? अभी विधान-परिषदों में जो लोग चुनकर आते हैं, वह असेम्बली से आते हैं, टीचर्स में, से आते हैं, विद्यार्थी कंस्टीट्यून्सी से आते हैं लोकल बोडी कंस्टीट्यून्सी से आते हैं। इसके

[श्री कैलाशपति मिश्र]

अलावा पांचवा एक स्तंभ है—नोमिनेशन का, इसमें राज्यपाल नोमिनेट करते हैं। राज्य-सरकारें रिकमण्ड करती हैं, उसी आधार पर नोमिनेट होते हैं। अब संविधान के अंदर दिया हुआ है कि किस आधार के ऊपर नोमिनेशन होना चाहिए, दिया हुआ है—लिटरेरी फोल्ड से अगर कोई ऐसा टेलेट, जीनियस नहीं है, लिटरेरी क्षेत्र से आना चाहिए, साइंस से आना चाहिए, आर्ट्स से आना चाहिए, कोपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, उससे आना चाहिए, सोशल सर्विस से, जिसका जीवन जुड़ा हुआ है, उससे आना चाहिए।

महोदय, मैं बिहार विधान-परिषद् का उदाहरण देना चाहता हूँ। आज बिहार विधान परिषद् में दो ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अभी बिहार में 1984 में विधानसभा के चुनाव हुए, क्लीन-इमेज करने के लिए इन दोनों का कॉम्पेस पार्टी ने टिकिट नहीं दिया। किसी भी असेंबली सेवे लड़े नहीं है। चुनाव समाप्त होने के बाद जब नई सरकार बनी, तो दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। मैं विधिमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जरा बिहार सरकार से इस बारे में पूछें। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। लेकिन अब छह महीने के बाद रहेंगे कहां? न किसी असेंबली से चुनकर आए हैं, न कौन्सिल की किसी सीट से चुन कर आए हैं और न ही इनके चुन कर आने की गुंजाइश है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बनने के बाद भी पांच असेंबली सीटों के लिए वाइ-इलेक्शन हुए। पहले तो लगता था कि पांच सीटों में से किसी न किसी सीट के उम्मीदवार होंगे और जीत कर चले आयेंगे। लेकिन समय में आ गया कि यह जो पांचों सीटें हैं, इनमें से किसी सीट के लिए भी इन्हें खड़ा किया गया, तो कहीं से भी जीत करके आने वाले नहीं हैं। उप-चुनाव समाप्त हो गए। एक दिन अचानक समाचारपत्रों में पढ़ने के लिए मिलता है—बिहार विधान परिषद् में राज्यपाल महोदय के द्वारा जो चार कौन्सिल की नामांकन वाली सीटें हैं, उनमें से दो पर इन कैबिनेट मिनिस्टर्स, पार्टी वर्क्स, पहले भी विधानसभा में रहे हुए हैं, नोमिनेट कर दिया है और अब तक छह

साल तक कौन्सिल में बैठे रहेंगे। जब तक मिनिस्टरी में रहेंगे, उनके ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं है।

संविधान में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई—लिटरेरी, साइंस, आर्ट, कोपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस। मैं जरा विधिमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कौनसी उपाधि दोनों मिनिस्टर्स के साथ जुड़ी हुई है? कहीं से चुनाव लड़ जीतकर आए हैं; क्लीन इमेज के लिए दोनों को जगह नहीं दी और एकदम कैबिनेट मिनिस्टर्स फिर से बनाकर के, नोमिनेशन की चार सीटों में से दो पर इनको नोमिनेट करके बिहार सरकार में बैठा दिया गया ऐसा क्यों?

एक और विचित्र स्थिति दिखाई दे रही है। अभी बिहार विधान-परिषद् केवल चयन रही है असेंबली से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा टोचर्स कंस्टीट्यून्सी से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, प्रेजेंट कंस्टीट्यून्सी से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लेकिन लोकल बोर्डों से बिल्कुल साफ। अब लोकल बोर्डों की हालत यह है कि एक सीट भी लोकल बोर्डों की ऐसी नहीं रही, सब की सब खाली हैं। समस्या आकर खड़ी हो गई है। जब चुनाव कराए जाएं, इलेक्शन होने हैं, तो किसको दो साल के लिए रखा जाए, किसको चार साल के लिए रखा जाए, किसको छह साल के लिए रखा जाए। सबकीसब छह साल से अधिक सीटें खाली रहती हैं, कोई छह साल, कोई आठ साल, कोई 10 साल। इस प्रकार से लगातार सीटें खाली होती चली गई हैं। नतीजा यह है कि जब पांच स्तम्भों के ऊपर विधान परिषद् को खड़ा रहना चाहिए था, एक स्तम्भ में भयंकर घाघली हो रही है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है और एक स्तम्भ कहा गया उस का पता नहीं चल रहा है। जैसे मैं आदरणीय धावे जी के मौशन का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि कितनी अनियमितता पैदा हो गयी है। केन्द्र सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया और सुधार करने की कोशिश नहीं की तो संविधान का इतना खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है कि कोई मान्यता, कोई नैतिकता रह नहीं जायेगी।



हम सब लोगों को मालूम है कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जैसे इंग्लैंड, जिसका बहुत ही छोटा संविधान है, लेकिन कन्वेंशन हैं जिनका उल्लंघन नहीं होता। इस कारण देश चल रहा है। हमारे यहां अमेंडमेंट बहुत होते गये, पौधा बढ़ता चला गया, लेकिन लगता है कि सत्ताधारी दल एक-एक मान्यता को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा आक्षेप गलत है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि दो कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को, जो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, क्यों नोमिनेट किया गया। जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव नहीं है उन का प्रतिनिधित्व अवश्य हो। इन्हें शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूँ।

**श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) :** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र धावे जी जो यह बिल लाये हैं कि विधान परिषदों का गठन होना चाहिए और उस में ट्रेड यूनियन का और टेक्नीकल ग्रेजुएट्स और एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैं इस से सहमत हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, 1947 में देश के आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई। हम ने यह फैसला किया कि डेमोक्रेसी और प्लान्ड इकोनोमी के माध्यम से अपने देश का विकास करेंगे। इस पद्धति की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने तय किया। दुनिया के बहुत से देश आजाद हुये। दुनिया के बहुत से मुल्कों में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई और दुनिया के हमारे बहुत से देशों में पूँजीवादी व्यवस्था स्थापित हुई, दुनिया के बहुत से मुल्कों में मिलिटरी हुकुमत है। मगर हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ सन् 1947 में आजादी की लड़ाई के सेनानियों ने कांस्टीट्यूशन असेम्बली में बैठकर भारत के संविधान का निर्माण किया और जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता की हुकुमत को कायम करने का संकल्प किया। यह मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितनी भी किस्म की सरकारें हैं उन में सब से अच्छी प्रजातांत्रिक सरकार होती है। लेकिन आज मझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 50 सीटों का चुनाव पिछले एक साल से नहीं हुआ। मैं कानून मंत्री से और उत्तर प्रदेश सरकार

से माँग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् के चुनाव तुरन्त तत्काल कराए जायें। और यदि इसी जून में चुनाव कराये जा सकें तो मैं सरकार को उसके लिए धन्यवाद दूँगा।

हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मुल्क में लोकतंत्र की स्थापना का संकल्प लिया तो उसके साथ ही विधान सभाओं, विधान परिषदों और राज्य सभा और लोक सभा का गठन हुआ। लेकिन 22 प्रान्त हैं और केवल 8 प्रान्तों में विधान परिषदें हैं और 22 प्रान्तों में असेम्बलियाँ हैं और 11 यूनियन टेरीटोरिज हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि 22 प्रान्तों में विधान सभाएँ हैं तो उन 22 प्रान्तों में विधान परिषदें भी होनी चाहिये। कम से कम तभी हम सम्यक रूप से अपनी जनता के इवाल्वमेंट से अपने देश का विकास कर सकेंगे। हिन्दुस्तान में जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है यह बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट है। दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने साम्यवाद, कम्युनिस्ट सिस्टम के माध्यम से अपना विकास किया है और दुनिया के बहुत ज्यादा मुल्क हैं कि जिन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनोमी के माध्यम से अपना विकास किया है, लेकिन हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हम ने फैसला किया है कि हम अपने देश में डेमोक्रेसी भी कायम रखेंगे और प्लान्ड इकोनोमी भी कायम रखेंगे। यानि हम मन की आजादी के साथ-साथ पेट की आजादी भी स्थापित करेंगे। हम पूँजीवाद की गुदगुदी गोद से हट कर एक नयी दुनिया का निर्माण करेंगे जिसमें जनतंत्र और समाजवाद दोनों होगा। जनतंत्र के माध्यम से समाजवाद और समाजवाद के माध्यम से जनतंत्र होगा और दोनों एक साथ चलेंगे। यह एक बहुत बड़ा कदम है और दुनिया के लोगों को इसी पद्धति का अनुकरण करना होगा। हम ने इसी कारण भिक्खू इकोनोमी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इसी लिये हम ने भिक्खू इकोनोमी के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी पब्लिक सेक्टर को कर्मांडिंग हाइट्स आफ दि इकोनोमी स्वीकार किया। 1885 में कांग्रेस पार्टी ने जन्म लिया और हिन्दुस्तान से अंग्रेजी हुकुमत को खत्म करने के लिए ही उस का जन्म हुआ था। हिन्दुस्तान में जो राजे-रजवाड़े ताल्लुकेदार,

[ श्री कल्पनाय राय ]

जमींदार आदि जो अंग्रेजों के प्रतीक बन कर हिन्दुस्तान का शोषण कर रहे थे उनको समाप्त करने के लिए इसी संकल्प को ले कर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और वह कांग्रेस पार्टी कालांतर में चल कर पूर्ण स्वराज्य के ध्येय को प्राप्त करने में सफल हुई। उनके लिए जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने फैसला किया कि हम पूर्ण आजादी को प्राप्त करेंगे और 1930 में जहां पूर्ण आजादी का संकल्प जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लिया वहीं 1936 में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया, जवाहर लाल नेहरू ने लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से कहा कि :

I am a socialist. I believe in socialism. The objectives of Congress is to establish scientific socialism. The problems La, i.e. poverty and unemployment cannot be solved without socialism. I want to convert Congress into a socialist organisation. 1963

में जवाहर लाल ने कांग्रेस को समाजवाद की तरफ जाने के लिए दिशा दी थी और 1942 की आजादी को लड़ाई हुई और 1947 में देश आजाद हुआ। 1950 में भारत के संविधान का निर्माण हुआ और 1952 में पहली बार एडाल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर पूरे हिन्दुस्तान में चुनाव हुए। 1953 की आजादी कांग्रेस में जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि :

I want to establish a socialistic structure of society. मैं समाजवादी ढांचे के आधार पर हिन्दुस्तान में समाजवादी ढांचे की सरकार बनाना चाहता हूँ। 1962 में कांग्रेस पार्टी ने कामराज जी की अध्यक्षता में भुवनेश्वर कांग्रेस में प्रस्ताव किया कि सहकारिता हमारे समाजवाद की आधारशिला होगी। 1967 और 1968 में फरीदाबाद कांग्रेस में श्री निज-निगप्पा जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर :

I will occupy the commanding height of the economy.

देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस फरीदाबाद कांग्रेस में 1968 में कहा था। पब्लिक सेक्टर विल आकुवाइ कमण्डिंग हाइट्स।

श्रीमान्, 1968 में जो कांग्रेस आई थी उस समय कांग्रेस के नेताओं के बीच में समाजवाद के सवाल पर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के सवाल पर जो संघर्ष हुआ उससे कांग्रेस के विघटन की नींव पड़ी। कांग्रेस में दो विचारों का संघर्ष उभरकर आया। 1969 में कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ। उस समय देश की प्रधानमंत्री और हिन्दुस्तान की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी थी जिन्होंने दोनों का राष्ट्रीयकरण किया। राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया। ये दोनों कदम हिन्दुस्तान के इतिहास में समाजवादी कदम थे। इन दोनों सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी में मतभेद हुए। कांग्रेस के एक पक्ष ने दोनों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में मत दिया और कांग्रेस पार्टी के एक पक्ष ने राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ। देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी न समाजवाद के सवाल को लेकर 1971 में चुनाव लड़ा। गरीबी हटाओ का नारा देकर कहा कि जो लोग हिन्दुस्तान से गरीबी को हटाना चाहते हैं वे हमें वोट दें और जो हमको हटाना चाहते हैं वे प्राइवेट सेक्टर को वोट दें। परिणामस्वरूप देश की जनता ने समाजवादी विचारधारा और गरीबी हटाओ सवाल पर देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को वोट दिया, देश की जनता उनके पीछे चढ़ान की तरह खड़ी हो गई।

अध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस पार्टी में लगातार विचारधाराओं का संघर्ष होता रहा है। हमेशा विभाग कांग्रेस पार्टी में सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी के अन्दर बहुत से दक्षिणपंथी ताकतें अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वे चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की लेफ्ट टु दि सेंटर की जो दिशा समाजवाद की रही है उसको कमजोर किया जाए। देश के समाजवाद में निष्ठा रखने वाले कांग्रेसजनों का यह महान

महान कर्तव्य है कि हम अपने देश की परिस्थिति को देखते हुए देश के नेता प्रधान मंत्री राजीव गांधी के हाथों को मजबूत करें क्योंकि वे ही देश की एकता और देश की अखंडता की रक्षा कर सकते हैं। आज हिन्दुस्तान ऐसे दौर में आ गया है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में फस गया है जिसमें देश की अदरुनी स्थिति ने भी देश को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की सार्वभौमिकता को बचाने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय कुचक्रों से भारत की रक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री राजीव गांधी के हाथों को मजबूत करना आवश्यक है। राजीव गांधी के हाथों को वहीं मजबूत करेंगे जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो हिन्दुस्तान के अन्दर पब्लिक सेक्टर की इकानामी पर विश्वास करते हैं। वे नहीं जो कांग्रेस पार्टी के अन्दर दक्षिण पंथ को मजबूत करना चाहते हैं, जो पूँजीवादी ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान के अन्दर प्राइवेट सेक्टर की इकानामी को मजबूत करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुँध में राम, बगल में छुरी की तरह से जो हिन्दुस्तान में काम कर रहे हैं। यह विचारधारा का सघर्ष सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर होता है। इसलिए हिन्दुस्तान की महानतम जनता को, हिन्दुस्तान के कांग्रेस जनों को या जो श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की नीति, सेक्युलरिज्म की पालिसी में विश्वास करते हैं, वे देश के नेता राजीव गांधी के हाथों को मजबूत करें। राजीव गांधी को आज कमजोर करने का मतलब देश को कमजोर करना है। देश तब मजबूत होगा जब हिन्दुस्तान समाजवाद की दिशा में कदम उठाएगा और कदम बढ़ाएगा। हिन्दुस्तान के करोड़ों-करोड़ों लोगों के हित में कदम उठाए जाएंगे और 20 मूत्री कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर लागू किया जाएगा। समाजवाद की दिशा तब मजबूत होगी जब पब्लिक सेक्टर कर्माडिंग हाइट्स आफ इकानामी कैचर करेगा और कांग्रेस पार्टी के अन्दर जब प्रतिक्रियावादी, रिक्रेशनरी ताकतों की साजिशों को खत्म किया जा सकेगा। लेकिन

हिन्दुस्तान के सच्चे कांग्रेसीजन जो इन्दिरा गांधी की नीतियों में, जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों में निष्ठा रखते हैं, जिनकी निष्ठा समाजवाद में है वे समाजवाद के माध्यम से हिन्दुस्तान की जनता को मजबूत करेंगे। विश्व की महान नेता और देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा जी ने कहा था :

"I want to make India a socialist, developed, strong and powerful India. But, for making India strong and powerful, united and tremendous national efforts are needed. Either dynamite the economy of the country or get yourself dynamited."

इसलिये हम देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को भारत की करोड़ों समाजवादी जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने 1976 में 42वां अमेंडमेंट करके हिन्दुस्तान के संविधान के प्रिम्बल में लिखा:

"India will be a democratic, socialist and secular Republic."

#### 1976 के पहले

"India will be a democratic State."

हमारी श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इसी भारत की संसद ने 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से यह संकल्प लिया था कि :

"India will be a democratic, socialist and secular Republic."

हम भारत के संविधान के माध्यम से समाजवाद की स्थापना के लिये वचनबद्ध हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल का हर मंत्री, मेम्बर पार्लियामेंट, विधान परिषद् का हर सदस्य, विधान सभा का हर सदस्य संविधान की कसम खाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना संविधान प्रिजर्व रखूंगा और अक्षुण्ण रखूंगा। इसकी रक्षा के लिये मैं हर कुर्बानी दूँगा। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी संविधान की रक्षा करना और समाजवाद की रक्षा करनी है तो समाजवाद की दिशा में मजबूत करने के लिये राजीव गांधी के हाथों को मजबूत करना है। आज कांग्रेस के अन्दर जो समाजवादी ताकतें हैं उनको एक साथ मिल कर काम करना

[ श्री कल्पनाथ राय ]

होगा। हिन्दुस्तान की इकोनोमी, पब्लिक सेक्टर की इकोनोमी, कमांडिंग हाईट्स आफ दी इकोनोमी को हर कीमत पर रखेंगे और हिन्दुस्तान समाजवाद की दिशा में लगातार कदम बढ़ायेगा।

प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी ताकत 1968 में यह तक दिय़ा करती थी कि पब्लिक सेक्टर इकोनोमी क्यों घाटे में है, मिसमैनेज्ड है। उनका कहना था कि क्योंकि व्हाइट एलीफेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रियोरिटी दी जाती है। वहीं तक 1968 के बाद 1984 में दक्षिणपंथी ताकतों के प्रतिनिधि दे रहे हैं। (व्यवधान) हमारे धावे साहब जो विधान परिषद् का बिल लायें हैं मैं उसी समाजवाद को, उसी लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए कहना चाहता हूँ कि इसी लोकतन्त्र और समाजवाद का मतलब है पीपल्स इन्वाल्वमेंट, जनता का पीपल का इन्वाल्वमेंट।

श्री शंकर प्रसाद मिश्र (पश्चिमी बंगाल) : बिल के बारे में बोलिये।

श्री कल्पनाथ राय : जब विधान परिषद् में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आयेंगे तो मैं आदरणीय कानून मंत्री श्री भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वह पूरे देश के कानून मंत्री हैं, जब 22 प्रांतों में से केवल 8 प्रांतों में विधान परिषदें हैं तो मैं चाहूंगा कि 22 प्रांतों में विधान परिषदें भी गठित की जाएं क्योंकि वे लोकसभा या विधान सभाओं का दर्पण होती हैं। एक आइना होती है जिसमें है पूरे देश की तस्वीर दिखलाई देती है। जनता का दुख जनता का सुख, जनता की आकांक्षाएं, जनता की उत्कठाएं जनता की आकांक्षायों का प्रतिबिम्ब उसमें होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि विधान परिषदों का गठन राष्ट्रीय हित में, लोकतन्त्र के हित में अनिवार्य है। विधान परिषदों में जनता के चुने हुए, ग्रेजुएट्स कंस्टीट्यूएँसी के लोग इलेक्ट होकर आते हैं। जो धावे साहब ने कहा कि ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि विधान परिषदों में नहीं हैं, मैं चाहूंगा

कि हिन्दुस्तान जब औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, हिन्दुस्तान सातवां इंडस्ट्रियल पावर बन चुका है और औद्योगिकी समस्याओं से लगातार लड़ रहा है तो उद्योगों में लगे हुए जो मजदूर हैं, उनके प्रतिनिधि भी विधान परिषदों में आने चाहिए और जो मनेजमेंट के प्रतिनिधि हैं उनको भी विधान परिषदों में आना चाहिए ताकि जब कोई सवाल संकट का खड़ा हो तो विधान परिषदों में तो अपनी-अपनी समस्याओं को रख सकें और सरकार उसका हल ढूँढ़ सके।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का चुनाव नहीं हुआ है। मैं फिर आपके माध्यम से आदरणीय कानून मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे विधान परिषद् का चुनाव तत्काल करायें। ताकि विधान परिषद का गठन होने के बाद ठीक प्रकार से काम चल सके। हमने लोक सभा का इंडिस्ट्रियल बनाया है। हमने विधान सभाएं बनाई हैं। उसके बाद जिला परिषदे, पंचायतें और ग्राम सभाएं बनाई हैं। हम चाहते हैं कि चौखम्बे के आधार पर हिन्दुस्तान का राज चले। जहां हमारे देश के केन्द्र में पार्लियामेंट है, वहां स्टेट्स में विधान सभाएं हैं। उसी तरह से जिलों में जिलापरिषदे हैं। ये सब संस्थाएं कानून के अनुसार इलेक्टड ब्राडीज होनी चाहिये। उनका भी चुनाव पांच साल के बाद किया जाना चाहिये। गांव सभाओं का चुनाव भी हर पांच साल के बाद होना चाहिये ताकि हमारे देश की जनता हर स्तर, पर राष्ट्रीय समस्याओं पर भी विचार कर सके जनता की समस्याओं का हल ढूँढ़ सके।

आदरणीय धावे जी ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे यह पता चलता है कि बहुत-सी राज्य सरकारों ने यह प्रस्ताव किया है कि विधान-परिषदों को भंग कर दिया जाए। इस प्रकार का आयह वे केन्द्रीय सरकार से कर रही हैं। इसका कारण यह है कि विधान परिषदों में विरोधी दल के लोग बहुमत में होते हैं। जब कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो वह विधान परिषद को भंग करने की

बात करती है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले पर विचार करने के लिए एक राउण्ड टेबल कांग्रेस बुलानी चाहिए जिसमें सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हों, जिसमें 22 प्रांतों के चीफ मिनिस्टर्स हों, वे रीजनेबल तरीके से विचार-विमर्श करें। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। विधान परिषद् के गठन में किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का सवाल है। यह जनतंत्र का सवाल है। यह मसला लोकतंत्र से जुड़ा है। जब जनता के प्रतिनिधि विधान सभा और विधान परिषद् में आएंगे तो वे जनता की आकांक्षाओं को उसी रूप में परिलक्षित करेंगे। ऐसी स्थिति में आज विधान परिषद् को भंग करने की जो बात कही जाती है वह बहुत गलत है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसलिए मैं कानून मंत्री जी यह से कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के बाइस प्रांतों में जहां भी विधान सभाएं गठित हैं वहां विधान परिषद् भी गठित की जानी चाहिए ताकि विधान सभा और विधान परिषद् दोनों मिलकर राष्ट्र को संचालित कर सकें।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY  
(Andhra Pradesh): In 17 States there is no Council.

श्री बलपनाथ राय : आदरणीय रेड्डी जी 17 राज्यों में कौंसिल नहीं है, यह हो सकता है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इन 17 राज्यों में भी कौंसिल होनी चाहिए। मैं यह कहाँ कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए। आपकी आन्ध्र प्रदेश की सरकार विधान परिषद् को भंग करने की बात कह रही है। विधान परिषद् को भंग करके आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। आप श्री रामाराव जी को समझाइये कि आप इस इंस्टिट्यूशन को भंग करने की जो बात कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप इसको भंग करने की बात इसलिए कह रहे हैं कि विधान परिषद् में कांग्रेस का बहुमत है। विधान सभा में तो आपका ही बहुमत है। दो साल, चार साल, छः साल या आठ साल में आपकी पार्टी वहां बहुमत में हो सकती है क्योंकि विधान परिषद् के चुनाव हर दो साल के बाद होते हैं। इसलिए आप विधान परिषद् को भंग करने की

बात मत कीजिए। मैं कानून मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र की जड़े मजबूत करने की दृष्टि से भी विधान परिषद् का होना बहुत जरूरी है। हर प्रांत में जहां लैजिस्लेटिव एसेम्बली है वहां लैजिस्लेटिव कौंसिल भी होनी चाहिए ताकि जनता की समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान ढूँढा जा सके। लोकतंत्र का यह तकाजा है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखती है। जब जनता के प्रतिनिधि जनता की भावनाओं के अनुकूल साबित नहीं होते हैं तो जनता उनका रिजेक्ट कर देती है, दूसरी सरकार ले आती है। इसलिए यही तरीका दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है। हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर सन् 1947 में भारत को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने आजादी हासिल की। कांग्रेस काँग्रेस में आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करने का फैसला लिखा गया था। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने कांस्टिट्यूवेंट एसेम्बली में बैठकर आजादी की लड़ाई के उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के लिये संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के तहत पिछले 1952 से आज तक हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र कायम किया हुआ है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गौरव की बात है कि अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों के बीच में हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जो प्रजातंत्र की मसाल जला रहा है। दुनिया के बहुत से देशों में प्रजातंत्र आया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बहुत से मुल्कों में प्रजातंत्र आया, मगर वहां पर प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया, फौजी तानाशाही वहां पर स्थापित हो गई। कहीं पर अन्तराष्ट्रीय कुचक्रों के कारण प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया और कहीं देश की आवश्यकता के अनुसार वहां प्रजातंत्र में का गला घोट दिया गया और कहीं पर आर्थिक संकट के कारण प्रजातंत्र खत्म हो गया। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रजातंत्र की मसाल प्रजातंत्र का चिराग जल रहा है। विकासशील देश होते हुए भी हिन्दुस्तान

[ श्री कल्पनाथ राय ]

प्रजातंत्र पिछले 35-36 सालों से कायम है। इस देश में एक पार्टी की सरकार वर्षों तक रही है, विरोधी पार्टियों की भी सरकार इस मुल्क में स्थापित हुई है। पॉस-फुल ट्रांसफर आफ पावर इस मुल्क में तीन-चार बार हो चुका है। यहाँ पर प्रजातंत्र की जड़े इतनी मजबूत हो गई हैं कि वह दुनिया के अन्य देशों के लिए एक मिशाल बन चुकी हैं। इसलिए हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र की जड़े और मजबूत करने के लिये, हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उन उद्देश्यों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का उद्देश्य जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उस आजादी की लड़ाई के उद्देश्य केवल हिन्दुस्तान की आजादी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की आजादी है। दुनिया के सभी मुल्कों की आजादी न केवल राजनैतिक आजादी बल्कि आर्थिक आजादी, किसी भी तरह के शोषण से मुक्ति, दुनिया में विश्व शान्ति की स्थापना, हथियारों की होड़ को समाप्त करना, इन सारे उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। तो हिन्दुस्तान की आजादी केवल हिन्दुस्तान के लिए नहीं लड़ी गई बल्कि सारी दुनिया के मार्गदर्शक का काम करने के लिए लड़ी गई। उस आजादी की लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह इस देश का सौभाग्य है कि यहाँ एक ऐसा देश है जहाँ ऐसे भी नेता रहे हैं जिन्होंने सत्ता की तरफ अपनी निगाहें कभी नहीं उठाई। उपसभाध्यक्ष महोदय, दुनिया के जिन भी देशों में क्रांति हुई उन देशों के क्रांति के नेताओं ने अपने अपने मुल्कों की वागडोर संभाली। चीन में क्रांति हुई और वहाँ पर मावो-त्से-तुंग ने वागडोर संभाली, रूस में क्रांति हुई और लेनिन ने हुकूमत की वागडोर अपने हाथ में संभाली, अमेरिका में क्रांति हुई तो जार्ज वाशिंगटन ने वहाँ की सत्ता की वागडोर संभाली। लेकिन हिन्दुस्तान महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजाद हुई लेकिन महात्मा गांधी ने हुकूमत की वागडोर पंडित जवाहर लाल नेहरू के हाथों में सौंपी और खुद जन शक्ति के प्रतीक बन रहे। वे लोकशक्ति के प्रतीक होकर सब से ऊपर रहे। इसी

तरह से इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने राज सत्ता से अलग हो कर जनशक्ति और लोकशक्ति का प्रतीक बनकर जनता का मार्ग दर्शन किया। इसी तरह से विनोबा भावे राज शक्ति से अलग रह कर जनशक्ति, लोकशक्ति के प्रतीक बन कर रहे। इस तरह के जो नेता हैं वे राज सत्ता से अलग होकर जनशक्ति और लोकशक्ति का प्रतीक बनकर सरकार की सही बात को कहना और विरोधी पार्टियों की सही बात को भी कहने के प्रतीक बने रहे। आज इस मुल्क में इसी तरह के जनशक्ति और लोकशक्ति के प्रतीक नेताओं की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय पैमाने पर जनशक्ति और लोकशक्ति के प्रतीक बनें और राष्ट्र का राजकाज चलाने वाले लोगों को समय-समय पर आगाह करते रहें, समय समय पर उनका मार्ग दर्शन करते रहें ताकि लोकशक्ति और राजशक्ति दोनों मिलकर इस मुल्क में प्रजातंत्र को कायम रख सकें और इस प्रजातंत्र के माध्यम से हम समाजवाद की स्थापना करें। और समाजवाद के माध्यम से समृद्धि कायम करें और समृद्धि के माध्यम से समता के सिद्धांत को दृढ़ करें और समाजवाद तथा लोकतंत्र के रास्ते से पूरी दुनिया में विश्व विकास और विश्व शान्ति की स्थापना के लिए जो एक सपना है उसको साकार कर सकें। आदर्शपूर्ण उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय धावे साहब के इस प्रस्ताव के समर्थन में कि विधान सभाओं में न केवल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि होने चाहिए, न केवल एग्री-कल्चर सेक्टर के प्रतिनिधि रहने, न केवल टेक्निकल सेक्टर के प्रतिनिधि होने चाहिए बल्कि हिन्दुस्तान की लैजिस्लेटिव असेम्बली जिन 22 प्रान्तों में है उन सभी में विधान परिषद भी कायम होनी चाहिए ताकि जनमत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व व्यापक पैमाने पर विधान सभा और विधान परिषदों के माध्यम से हो सके और जनता की आकांक्षाओं को जानकर हम अपने प्लानिंग कमीशन के माध्यम से और अपनी प्लान्ड एकातामी के माध्यम से हिन्दुस्तान को एक खुशहाल और समृद्धिशीली मजबूत समाजवादी राष्ट्र बना सकें जिसकी कल्पना हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। इन शब्दों के साथ मैं धावे साहब के बिल का समर्थन करता हूँ।



श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) :  
 उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझ से पहले मेरे पुराने साथी भाई कल्पनाथ जी बोल रहे थे। उनके विचारों को सुनने का अवसर मिला। मैं इस सदन में इस विधेयक की मारफत किस का हाथ मजबूत करने के लिए कहूँ मुझे कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। वह तो कह रहे थे कि कितना का हाथ मजबूत करिये। इस विधेयक में न तो श्री राजीव गांधी का हाथ मजबूत होगा और इससे उसका कोई मतलब है न संदर्भ है। श्री राजीव गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए यह सभी लोग उनके हाथ को मजबूत नहीं करेंगे बल्कि श्री राजीव गांधी अकेले इन सब का हाथ मजबूत कर रहे हैं। यह सब अपने मन से उनके हाथ मजबूत करने का तार। चाहे जितना लगा लें लेकिन वास्तविकता यह है कि राजीव गांधी अकेले ही इन सब लोगों के हाथ मजबूत करने में सक्षम हैं, कर रहे हैं और उन्होंने करके दिखा दिया है। इसलिए यह लोग नारा लगा रहे हैं जो नहीं लगाना चाहिए, वह कमजोर नहीं है। खैर उन बातों को जाने दीजिए। मैं आपसे यह निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि श्री धावे जी ने यहां जो प्रस्ताव रखा है विधान परिषद् के गठन के लिए हम राज्य सभा के सदस्य हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कौंसिल आफ स्टेट्स मतलब यह है कि यह लोक सभा नहीं है यह राज्य सभा है और यहां पर राज्यों के प्रतिनिधि हैं। हम किसी वर्ग विशेष के या किसी समुदाय विशेष के प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि हम राज्यों के प्रतिनिधि हैं और सम्पूर्ण राज्य के हैं यहां जो कोई भी है वह उस राज्य का प्रतिनिधि माना जाएगा न कि केवल एक निश्चित विधानसभा क्षेत्र का और इसी के पीछे यह भावना थी कि जो लोक सभा का सीधा निर्वाचन होता है बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो लोकसभा के सीधे निर्वाचन में भाग लेना नहीं चाहते या उससे कतराते हैं। जब गांधी जी और नेहरू जी का जमाना था तो नेहरू जी के बाद का जमाना कुछ और हुआ आज का जमाना क्या है, कहा नहीं जा सकता है। सन् 1967 में जब विधान सभा में मैं चुनाव जीत कर आया था और आज जब विधान सभा और पार्लियामेंट को देखता हूँ तो मुझे ऐसा

लगता है कि जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया का बन गया हूँ वह दुनिया कहीं और चली गई है। गांधी जी और नेहरू जी के जमाने में चुनाव कुछ और थे, उसमें प्रतिभाशाली चरित्रवान, योग्य ज्ञानी, विज्ञानी, त्यागी तपस्वी और ईमानदार लोग, चुनाव में भाग ले भी लेते थे लेकिन आज के युग में चुनाव का नाम सुन कर वो सज्जन लोग ऐसे भागते हैं जैसे बैल लाल कपड़े को देख कर के भागता है। आज तो राइफल, बन्दूक, गोली स्टेनगन, ब्रेनगन के आधार पर जब चुनाव होता है तो कौन सज्जन जाएगा चुनाव के मैदान में। चुनाव में खड़े होने में उसकी कोई गिनती नहीं है, कौन गरीब ऐसा चुनाव लड़ने जाएगा कौन मजदूर चुनाव लड़ने के लिए जाएगा, वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इस राज्य सभा का गठन इसलिए किया गया कि ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जो सीधे निर्वाचन में नहीं आ सके तो उनको यहां पर लाया जाए जिनकी उपयोगिता केवल एक प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं हो बल्कि जिनकी बुद्धि की उपयोगिता, ज्ञान-विज्ञान और दूरदर्शिता का उपयोग कर के हम देश के संचालन में उनका उपयोग कर सकें। वह केवल उनको नौकरी देने के लिए नहीं किया गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे बड़े बड़े लोगों के मकानों में ओरनामेंटल ट्री होता है जिसमें न फल लगता है न फूल लगता है, वह किसी काम का नहीं होता है, किसान की समझ में उसमें न फल लगेगा न फूल लगेगा लेकिन उसके पत्ते रंग बिरंगे देखने में सुन्दर होते हैं। जैसे वह ओरनामेंटल ट्री होता है जो नयन सुख के लिए होता है वैसे यह राज्य सभा नयन सुख के लिए नहीं है। इस राज्य सभा को केवल नयन सुख के लिए ओरनामेंटल ट्री बना कर न रखा जाए बल्कि लोकसभा के जरिए जो कुछ आवे तो उस पर उनको सोचने विचारने, ठंडे दिल से राजनीति की भावनाओं से दलगत हितों से उपर उठ कर अपनी राय देने का अवसर मिले जिससे राष्ट्र को उनके विचारों से लाभ पहुंच सके। प्रत्येक राज्य में विधान परिषद् के पीछे भी वही भावना थी कि विधान परिषद् बनाओ ताकि दोहरा नियंत्रण हो। मान लीजिए कभी कभी बहुमत दल अगर पागल हो जाए पागल कहने से घबराईए

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]  
 नहीं मैं किसी व्यक्ति को पागल नहीं कहता बल्कि मैं यह कहता हूँ कि जब बहुमत प्राप्त दल को उन्माद हो जाए, विलकुल वह ठान ले, निर्णय ले कि हमको यह करना ही है। और बहुमत के बल पर अगर वह कर दें तो फिर उस पर सोचने के लिए कोई जगह लोकतंत्र में ऐसी होनी चाहिए जहाँ जाकर फिर उस पर सोचा जाये, पुनर्विचार किया जाये। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि विचार, पुनर्विचार और समझति। समृद्ध और शक्तिशाली लोकतंत्र तभी है जब कहते हैं "सहमति"। मतलब सब लोगों की पूर्ण रूप से सहमति, सहमति न बन जाए तब तक विचार को चलाने रहें, यह लोकतंत्र की मर्यादा है। बहुमत दल अगर कभी उन्मादी बनकर काम कर बैठे, ऐसा विधान बना दे जिससे राष्ट्र के लिए खतरा हो तो फिर कहीं न कहीं उस पर पुनर्विचार करने की एक संस्था हो, स्थान हो, जहाँ पर कि उस पर पुनर्विचार किया जाये और फिर उस पर गम्भीरता के साथ सोचें इसी के लिए तो यह द्वि-सदन की प्रणाली बनायी गयी है और द्वितीय सदन का निर्माण किया गया है। विधान परिषद् का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया गया था। फिर राज्य सभा और विधान परिषदों में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिये कुछ मनोनीत करने का प्रावधान रखा गया कि मनोनीत किसे जायेंगे। उसके लिए प्रणाली रखी गयी कि जो साहित्य में, कला में, खेल में, विज्ञान में सब में बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं—हम लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उठा पटक, छल कपट तिकड़म तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले लोग हैं, वे इनसे परे हैं ऐसे लोगों को नामीनेट करके उनको सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कराया जाता था। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे जिनको एक श्रद्धा की नजर से देखा जाये तो ऐसे बुद्धिजीवी जो उच्च बुद्धिजीवी वर्ग में हों, साधारण नहीं, उनके अंदर यह विश्वास पैदा हो कि हमारे लिए भी कहीं देश में श्रद्धा और सम्मान का स्थान है उनके लिए भी एक प्रावधान रख दिया गया।

अब स्नातक, मतलब जो बी० ए० पास हो गये, चाहे डाक्टर हो, अधिवक्ता

हों वकील हो, अध्यापक हों, प्राध्यापक हों, ये जितने हैं ये स्नातक हैं ये विधान परिषदों में चुनकर चले जायेंगे। जितने लोग स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं वे उसमें चुनकर चले जायेंगे। हालांकि स्वायत्त संस्थाओं में गड़बड़ है। जैसे बिहार में देखते हैं, जितनी स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं उनको तब माना जायेगा जब ग्राम पंचायत का मेम्बर और पंच जो है, वार्ड का पंच या ग्राम पंचायत का मेम्बर है वह भी उसमें वोटर बनेगा तभी वह असली स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधि माना जायेगा। लेकिन अभी है क्या केवल जिला परिषद के जितने सदस्य हैं उन्हीं को वोटर बना दिया गया है अर्थात् ग्राम पंचायत के मुखिया लोग जो ग्राम प्रधान हैं वे भी इसमें मतदाता नहीं हैं केवल सीमित लोगों को रखा गया है और उसमें हमारे बिहार में तो जितना और हुराफा अपने हाथ की बात है। हमारी सरकार बन जाये तो हम जितने ही को चाहें स्वायत्त संस्था में जिताने दें। इसलिए नोटीफाइड एरिया कमेटी बनाना अपने हाथ की बात है। एक छंटे से कस्बे में अधिसूचना कर देंगे और 40-50 मेम्बर्स को नामीनेट कर देंगे चाहे दुनिया एक तरफ हो और अकेले हमारे अधिसूचित क्षेत्र के सदस्य एक तरफ हों। हम उसी के बल पर अपने मन के लायक आदमी को जिताने देंगे। ऐसे स्वायत्त संस्थाएँ बनती हैं।

तो स्वायत्त संस्थाओं के आ गये, स्नातक आ गये, विधान सभा से आ गये और शिक्षक बंधुओं के बीच से चले आये। कहने का मतलब आधे में आधे घर और आधे में सब घर हिंदुस्तान में पड़े लिखे लोग कितने हैं। इस देश में 2/3 आदमी तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं :

लीक लोड़ा पत्थर सोलह दुणा आठ ।  
 काला अक्षर भैंस बराबर ॥

वह मुहर छाप है जहाँ जाता है तहाँ दस्तखत नहीं करते कागज पर स्टैम्प लगाते हैं। वे स्टैम्प छाप हैं। तो देश के अन्दर जो 2/3 स्टैम्पिंग करने वाले लोग हैं उनको छोड़कर केवल 1/3 आदमी हैं जिन्होंने



विभिन्न रास्तों से, भोग के साधनों पर अपना अधिकार जमाने का रास्ता बना लिया है। कुछ शिक्षकों के माध्यम से आ जाओ, कुछ स्वायत्त संस्था के माध्यम से आ जाओ, कुछ प्रतिनिधि बनकर आ जाओ, कुछ विधान सभा के माध्यम से आओ। मतलब जिसको जैसे लगे चले आओ। दिल्ली से गाड़ियां खुलने लगती है तो जिसको जयंती जनता मिलती है उसी पर चढ़ जाओ जिसको सुपर फास्ट मिलती है उसको पकड़ लो, मेल मिले तो उसको पकड़ लो नहीं तो पैसों पर ही पकड़ लो लेकिन पढ़े लिखे आदमी, निहित स्वार्थी वर्ग के आदमी ही किसी न किसी विधान मंडल और संसद में पहुंच जायें और बाकी देश का जो 70-80 प्रतिशत समुदाय है उनका इनसे कोई सम्पर्क संबंध न रहने दो !

भाई कल्पनाथ राय जी अभी कह रहे थे कि बांधी जी का सपना था कि देश 4 P.M. को बनावे। भैया, देश मजबूत तो तब बनेगा जब देश के 100 में से 98 आदमी, 99 आदमी, 95 आदमी, 94 आदमी खुशहाल होंगे, मालदार होंगे, वृद्धिमान होंगे, पढ़े-लिखे होंगे, अच्छे मकान वाले होंगे, उनका मोचने का तीर-तरोका ठीक होगा, तभी तो देश मजबूत बनेगा। कल्पनाथ राय और हुक्मदेव नारायण यादव को खिला-पिला कर बिल्कुल गैंडा बना दो, जंगल के जैसे और देश के 98 आदमी को बिल्कुल सुखा कर लकड़ी की तरह बना दो, लकड़ी बना दो जो हवा में हिलती चले, तब देश मजबूत नहीं बनेगा। हम और आप केवल खा-खा कर पहलवान बन जाएं, गैंडा बन जाएं, तो देश मजबूत नहीं बनेगा। स्वस्थ शरीर का मतलब है कि शरीर का सम्पूर्ण विकास हो, उसके अनुपात के अनुसार से पैर भी हों, अनुपात के अनुसार हाथ भी हों, अनुपात के अनुसार उंगली भी हो, अनुपात के अनुसार आंखें भी हों, तभी तो देखने में सुन्दर लगेगा। भाई साहब किसी का शरीर तो बना दो मटके की तरह इतना बड़ा और पैर बना दो तीन इंच और पेट साढ़े चारह फुट का तो बनावो कहीं कोई वह आदमी देखने लायक रह जायेगा ? तो आप ऐसे राष्ट्र को मजबूत बनाने की कल्पना करते हो जिसमें गरीबी के महासागर

में अमीरी के टापू पर निश्चित रूप से कुछ थोड़े से कमल खिला कर के देश को सुन्दरता बढ़ाना चाहते हो। गरीबी के महासागर में अमीरी के टापू पर एक-आध गुलाब की कली लगा दोगे तो उससे देश बलवान नहीं बनेगा। देश तो बलवान तब बनेगा जब हिन्दुस्तान की हर जगह से आशा की राशनी निकलेगी और देश के हर आदमी को पेट में रोटी, तन पर कपड़ा और रहने को मकान मिल सकेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को बनाने की बात मत करिए, आदर्श को बनाने की बात करिए। आप जब कहते हो ठीक बात है विधान परिषद् बनावें या जो हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आप तब कहने लगते हो प्रजातंत्र, हम तो मानते नहीं हैं कि प्रजातंत्र कहीं है। राजा चला गया, न राजा रहेगा, न रानी रहेगी, वह भाटी मम्मी की कहानी कहेंगी। हिन्दुस्तान में न कोई राजा है और न कोई रानी है, अब तो सब बराबर है। हमारे सामने सिधिया स्टेट के महाराज राजकुमार माधव राव जी बैठे हैं और मैं भी यहां बैठा हूं। मेरी हैसियत का आदमी उनके यहां कभी कोई पटवारी या कोई दरबारी का काम करने वाला रहा होगा। लेकिन लोकतंत्र में हम दोनों बराबर हैं। बराबरी की हैसियत से बैठते हैं, बराबरी का स्थान है, बराबरी का दर्जा है। नहीं लगता है कि वह कोई राजकुमार है और न ही लगता है कि मैं कोई गरीब किसान के घर का बेटा हूं। लोकतंत्र में यही तो बराबरी है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिधिया) : आपकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : यही तो बराबरी है, यही तो लोकतंत्र है कि आपने उठकर जब कह दिया कि आपकी बराबरी नहीं कर सकते। लोकतंत्र की यही तो महानता है। लोकतंत्र की जड़ें इसी से तो मजबूत होती हैं, जब देश का बड़ा आदमी भी छोटे आदमी को भी अपने से ऊंचा मानने लगे तो देश ज्यादा मजबूत बनेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देश यों बना करता है और देश को बनाकर सब को प्रतिनिधित्व दो, आशा का संचार दो कि लोग समझें कि यहां

[श्री हुसम देव नारायण यादव]

मुझे भी कुछ मिलने वाला है। धाबे जी ने जो कहा कि विधान परिषद् में उनको कुछ प्रतिनिधित्व मिले। तो बहुत वर्ग हैं, एक है क्लास और एक है कास्ट। हिन्दुस्तान में जाति और वर्ग, ये चीजें हैं। मैं इस मामले में केवल थोड़े से शब्दों में इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि दुनिया के अन्य देशों में जब यूरोप की बात आप करते हो तो यूरोप में केवल एक क्लास है, केवल वही वर्ग है और हिन्दुस्तान के अन्दर में वर्ग नहीं है, हिन्दुस्तान में क्लास और कास्ट, ये दोनों हैं और क्लास और कास्ट दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। गतिशील वर्ग हमेशा वर्ण बनता रहता है और गतिहीन वर्ग ही हमेशा वर्ण बन जाया करता है। जब शिक्षक का बेटा ही शिक्षक होगा, शिक्षक का बेटा ही शिक्षक होगा, शिक्षक का बेटा ही शिक्षक होगा, तो वह शिक्षक का क्लास नहीं रहेगा वह तो शिक्षक का कास्ट हो जायेगा। जब इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर होगा तो वह वर्ग नहीं रहेगा, वह कास्ट हो जायेगी। एम०एल०ए० का बेटा ही एम०एल०ए० होगा तो एम०एल०ए० एक वर्ग नहीं रहेगा, एम०एल०ए० एक जाति बन जायेगी। राजा का बेटा ही राजा होगा तब वह जाति बन जायेगी और वर्ग नहीं रहेगा। जब वर्ग के अन्दर विभिन्न संप्रदायों के लोग आते रहते हैं तो वह वर्ग बनता रहता है। दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान का क्लास ही का कास्ट बन गया है। आप बड़ई कहते हो। बड़ई का मतलब क्या होता है। जो लकड़ी का कारोबार करे, उसका नाम बड़ई है। इस परिभाषा में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अहीर हो और चाहे वह किसी भी जाति का हो...

अगर लकड़ी का कारोबार करता है, तो उसको बड़ई कहो। लेकिन बड़ई नहीं कहा जा सकता। कल्पनाथ राय जी, धर्म बदल सकते हो, लेकिन हिन्दुस्तान में जाति नहीं बदल सकते। आप अपने धर्म को बदल दो, हिन्दुस्तान में ईसाई बन जाओ, हिन्दुस्तान में क्रिश्चियन बन जाओ, इस्लाम में चले जाओ अथवा इस देश में किसी भी मजहब या धर्म को बदल सकते हो, जाति को इस देश में नहीं बदल सकते हो।

धाबे जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह उन वर्गों के लिए रखा है, जो जाति का सबसे बड़ा हुंसा समुदाय है, रिकशा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला, खेत में खेतिहर मजदूरी का काम करने वाला, पानी पिलाने वाला, सेवा करने वाला, चौका-बर्तन करने वाला। यह सब क्या है? यह सब भी तो ट्रेड है। इसको, जैसे धाबे जी ने कहा, जो ट्रेड यूनियन है, इसमें मिलाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि पहले आप ट्रेड का इस देश में विश्लेषण करो, ट्रेड की व्याख्या करो। इस देश में बहस चलाओ कि ट्रेड के माइने क्या हैं, ट्रेड का मतलब क्या है? इस देश में ट्रेड का मतलब है—किराये का काम करे, कलम चलाने का काम करे, बाबूगिरी करे, कारखाने में काम करे, तो यह ट्रेड होगा। लेकिन हल चलाना ट्रेड नहीं है, तांगा चलाना ट्रेड नहीं है, खेती का काम करना ट्रेड नहीं है। यह क्या है? यह सभी ट्रेड है।

जब आप कहते हो, दक्षता के नाम पर, उप-समाप्ति महोदय, कभी-कभी कहा जाता है कि दक्षता के नाम पर जगह मिलनी चाहिए कि यह दक्ष है। मैं हिन्दुस्तान के तमाम पढ़े-लिखे बड़जीवियों को चुनौती देता हूँ कि जो अपने को दक्ष कहते हों, आई०सी०एस०, आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यापक, व्याख्याता सभी को इस सभा की मार्फत चुनौती देना चाहता हूँ कि तुम अपने को दक्ष कहते हो, हाईकोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, तुम अपने को दक्ष कहते हो, अपने को कहते हो कि हम दक्ष हैं। तो दक्षता तुम्हारी हम देखना चाहते हैं। तुम मेरे साथ खेत में चलो। मैं अपने किसान के हल का मूठ तुम्हारे हाथ में रखता हूँ। अगर तुम हल का मूठ चला दो, तो मैं कहूंगा कि तुम दक्ष हो। जो खेत में काम करता है, हल चलाता है, वह भी तो दक्ष है उतना, जितना कि कुर्सी पर बैठा हुआ दक्ष है। गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान में वकील और नाई दोनों बराबर हैं क्योंकि पेट पालने के लिए दोनों को रोटी अर्जन करनी होती है। मूलाधार क्या है?

मूलाधार है—चार आने की मजदूरी कर पेट भरना। मेरा भी आधार है पेट के लिए रोटी, जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, उसका भी आधार है—रोटी। तो यह रोटी पाने वाला जो इतना बड़ा समुदाय है, जो पसीना बहाता है, मेहनत करता है, हिन्दुस्तान को सजाता है संवारता है, खुशहाल बनाता है, सुन्दर बनाता है, हिन्दुस्तान में सुखे हुए चेहरे पर अपने हाथों से मालिश करके देश के मुट्ठी भर लोगों के गालों पर तो लाली लाता है, लेकिन अपने तन को सुखाकर काला बनाता है धूप की गरमी में। इन करोड़ों इंसानों के लिए कोई हिन्दुस्तान में प्रतिनिधित्व का कानून हो। भारत के किसी संविधान में यह नहीं होगा क्योंकि उस समय जो संविधान बना था, उस संविधान पर हमारे आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छलछाया थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू के राजनीतिक दृष्टिकोण के कुछ बातों के विरोधी रहे हो। लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू एक उदारवादी व्यक्ति थे, जो संपूर्ण वर्गों को उठाने के एक अरमान थे। हम उन्हें उस समय भी मानते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डा० संपूर्णानंद, रफी अचाय किदवाई, डा० राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण इत्यादि जो हमारे देश के चमकते हुए सितारे थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नक्षत्र मंडल के चमकते हुए सितारे थे। उन सब लोगों की जो छाया थी, उसके चलते भारत के संविधान में हमें बहुत कुछ मिल गया। अफसोस आज अगर वही संविधान बनाया जाता, तो हमें कुछ नहीं मिलता। भले ही हिन्दुस्तान के दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित, हरिजन, आदिवासी के नारे कितने चाहे लगवा ली, लेकिन दिल में उनके लिए कोई दर्द नहीं है, जुवां पर चाहे मखन की पालिश हो। इसको कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, महात्मा गांधी ने जो कुछ हमको दिया, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया, गोविंद वल्लभ पंत ने दिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया, संविधान में इन्होंने हरिजनों, पिछड़े लोगों को जो दिया, समान अधिकार दिए। आज

महात्मा गांधी की ही कर्मभूमि, जन्मभूमि गुजरात में उसी के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ है। यह देश कहाँ जाए? क्या अधिकार है, इस देश को गांधी जी का नाम लेने का? क्या अधिकार है इस देश के उन लोगों को गांधी जी का नाम लेने का जिन्होंने गांधी को उठा कर समुद्र में फेंक दिया है, गांधी जी की लाश को इतने गहरे कुएं में दफन कर दिया है जहां से गांधी को कोई याद भी न आये। गांधी जी का नाम लेते हो और कहते हो कि विधान परिषद को बैसा बनाओ, लेकिन कैसा विधान परिषद बनाते हो? राज्यपाल मनोनीत करते हैं किसी साहित्यकार को, कलाकार को, किसी संगीतज्ञ को, किसी अभिनेता को? बिहार में चल कर देखिए, वहां कहते हैं :—

जीतल एम० पी० जेल में गले, हाल  
एम० पी० एक ही चेल

बिना टिकट के मंत्री भेल, देखो भाई  
करम के खेल।

\*को टिकट नहीं देते हो, बिहार में क्लीन इमेज के लिए, राजीव गांधी स्वच्छ राजनीति चाहते हैं,\* का टिकट कट, गेट आउट। लेकिन फिर\* को गवर्नर के द्वारा मनोनीति किया जाता है। मंत्री बने पहले, मनोनीत हुए बाद में।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: Sir, let him not take their names.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I would request the hon. Member not to say anything which may seem detamatory or incriminatory for a person who is not present in the House.

श्री हुशमदेव नारायण यादव : सही। मैं नाम नहीं लेता, नाम आ गया तो उस को निकाल दिया जाय।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I will expunge that part.

\*Expunged as ordered by Chair.

श्री हकमदेव नारायण यादव : अगर मेरे बापस लेने से अन्तर पड़ता है तो, मैं ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप विधान परिषद में मनोनीत करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि विधान सभा का चुनाव लड़ने के लायक नहीं हैं। आप पहले मंत्री बनाते हैं तब विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। कहने का मतलब है कि पहले बेटा का नाम रखते हैं और फिर बेटा पैदा कर देते हैं। पहले मंत्री बनाओ फिर उसे विधान परिषद में मनोनीत करो। यही बात आती है। यही विधान परिषद लेकर कोई नया समाज निर्माण कर सकेंगे? ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। सन् 1968 में, कल्याण राव जी, अपने सीने पर कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन के हम और आप जुझाऊ निशानी थे, अपने सीने पर कांग्रेस की लाठी सहते थे, उस समय संविद सरकार को लोड़ने के लिए कांग्रेस ने इश्वर चलाया था और स्व० विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल की संयुक्त समाजवादी दल से बाहर निकाला था और मुख्य मंत्री बना कर गवर्नर के द्वारा मनोनीत कराया गया था। 68 में बिहार में यह परम्परा चल रही थी। आज भी यह परम्परा चल रही है। कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं हैं जो उच्च कोटी के साहित्यकार हों, उच्च कोटी के विद्वान हों उच्च कोटी के लेखक हों, समाचार पत्रों में काम करने वाले हों, उच्च कोटी के ट्रेड यूनियनिस्ट्स हों? एक नहीं अनेकों हैं क्योंकि आप सत्ताधारी दल के हो, आप महासागर हो, उस महासागर में तो अनेक मगरमच्छ हैं, छोटी-मोटी मछलियों की बात क्या, इस में तो ब्रेल मछलियाँ बहुत घूम रही हैं, राहू का तो पूछने वाला कौन है। ऐसे लोग हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा पतन हो रहा है। सामाजिक आधार चला जाएगा तो कोई अवरोध नहीं आयेगा, नीचे गिरते चले जाएंगे।

आदरणीय भारद्वाज जी, धावे जी ने जो कहा है उस को मान लेना आप के हाथ में नहीं है क्योंकि वह ऐसा विषय है जिस में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाना पड़ेगी, केबिनेट को फँसला लेना

पड़ेगा, सारे प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को बुला कर उन से नवाह मशविरा करना पड़ेगा। तब आप कुछ फैसला कर सकेंगे हैं, अर्केन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप भारत के विधि मंत्री को हैमियन से इस नदन में बैठे हुए हैं। जो धावे जी ने कहा वह भी भावना है और देश के अन्दर जो करोड़ों पंडित, उन्नित सम्प्रदाय है उस को मैं पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़ा वर्ग कहता हूँ—यह पिछड़ा वर्ग आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से वंचित कर दिया गया। महर्षि विवेकानन्द को बाणों की कोट कर के मैं समाप्त करूँगा। परम आदरणीय विवेकानन्द जी ने कहा कि हिन्दुस्तान में दासप्रथा इस प्रकार बनी थी जो विजेताओं ने हारी हुई जातियों को बिनष्ट नहीं किया बल्कि उनके आर्थिक अधिकारों को सम्भित कर दिया। एक नामा में पेंद कर रख दिया कि तुम्हारे आर्थिक अधिकार हम से जागे नहीं होंगे और वहीं से यह छोटी छोटी जातियाँ आ गयी और उनके अधिकार अधिकार सम्भित हो गये। ब्राह्मणों को दासप्रथा आर्थिक अधिकार दिये गये। जातियों को आर्थिक अधिकार ब्राह्मणों से कम रहे और इस विषय वे क्षत्रिय कहलाये। उस ने कम आर्थिक अधिकार वैश्यों के रहे और इस विषय वे वैश्य कहलाये और सब से कम आर्थिक अधिकार शूद्रों को दिये गये और इस विषय वे शूद्र वर्ग के कहलाये। आज इस में परिवर्तन आना है। यह वही वर्ग है जो अपना पसीना बहाता है, यही वर्ग है जो सब से ज्यादा मेहनत करने वाला वर्ग है, यही वर्ग सब से ज्यादा कमाने वाला वर्ग है और जो किसानों के एक सौ लोगों में सत्तर को मश्वरा में है। किसानों का कोई प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। आज यहाँ दरबारा सिंह जी भी किसान हैं और हम लोग भी किसान हैं। हम किसी भी पार्टी से चुन कर चले आयेगे लेकिन किसान के नाम पर किसानों का प्रतिनिधि कोई किसान अगर चुनाव में खड़ा हो और किसानों के बोट पर चुन कर आये, उन का अपना कोई संगठन हो, ऐसा क्या हो सकता है? क्या उन का इस तरह से कोई प्रतिनिधि चुना जा सकता है? अगर चुना जाता है तो उस किसान के प्रतिनिधि को विधान सभाओं

में लाखों, खेतिहार मजदूरों के प्रतिनिधि को विधान परिषदों में लाखों, रिक्सा और तगा चलाने वालों के प्रतिनिधि को विधान परिषद में लाखों, होटल में काम करने वालों के प्रतिनिधि को लाखों, चपरासी और पियन का जो लोग काम करते हैं उन के प्रतिनिधि को विधान परिषदों में लाखों तब समय रूप से यह समाज बनेगा और तब समाज विकसित रूप से आप को दिखाई पड़ेगा।

मैं अपनी बात खत्म करते हुए निवेदन करूंगा कि खस को टट्टी, कल का पंखा, ठंडा गरम मकान और मोटे मोटे तोशक और मोटे गद्दों पर सो कर के चाहे गरीबी पर हम जितने भी उपन्यास पढ़ लें या चाहे जितनी थीसिस लिख लें लेकिन जिसने गरीबी को आँखों से देखा नहीं है, जिसके माँ बाप को टूटी झोपड़ी में रहना नहीं पड़ा है, जिस को फटा कपड़ा नहीं पहनना पड़ा है और समाज में चोराहे और सड़क पर जिसको कभी उपेक्षित नहीं होता पड़ा है अपमानित नहीं होता पड़ा है वह दुखिया के दिल का दर्द नहीं जान सकता। नहीं जान सकता इस लिए हमारे यहां के दुखियों की आवाज भारत की संसद में और यहां की विधान सभाओं में और यहां की विधान परिषदों में उठे इस के लिये आवश्यक है कि धावे लाहव का जो विधेयक आया है उस पर सरकार विचार करे। उस पर सरकार बहुत चलावे और इस को सरकार माने। आशा करना है कि भारतवाज जी इस पर विचार करेंगे। वे बुद्धिमान हैं और विधिवेत्ता हैं। उद का काफी यश भी रहा है। वे इस काम को करें और अपना यश और बढ़ावें।

इन शब्दों के साथ मैं धावे लाहव के विधेयक का खुले दिल से समर्थन करता हूँ।

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome the Bill moved by my honourable friend, Mr. Dhabe, because it has provided an opportunity for us to discuss the advantages and disadvantages of having a Legislative Council.

I do not subscribe to the view that a Legislative Council is essential. Just a few minutes before this Bill was moved. I do not know why the Minister announced the decision of the Government to abolish the Legislative Council only of Andhra Pradesh. What does it show? Because the ruling party there in Andhra Pradesh was very keen and they wanted to abolish it, you are doing it. But, on fundamental issues the Government has no clearcut policies and they do not take firm decisions at the appropriate time, whether it is reservation for backward classes or other important issues connected with Centre-State relations. Even on some important questions connected with our national unity, the Government is not able to take quick decisions and move forward. Why? They are willing to hit but are afraid of wounding the vested interests. They announce their noble sentiments and pronounce very bold policies, but when it comes to the question of implementation, they retreat. That has been the sad experience of this Government or even the predecessor Government. That is why our country is passing through such serious 'crises whether in Gujarat or in Punjab or in Assam or in the south. Can we not take a firm decision with regard to abolition of the Legislative Councils? When you are bringing a Bill for abolition of the Legislative Council only in the State of Andhra Pradesh, can you not consider the question as a whole whether it is essential for other States? What is the experience? Some friends were very eloquently supporting the idea that the Legislative Council is a symbol of larger representation. No. It is an obstructive mechanism conceived by the British. It is a hang-over of the British hierarchical system. Sir, all of us were fortunate enough to be born at that time in our country. I am proud, I am an Indian and I was born in this century. If I had been born 50 years earlier, I would have missed the opportunity of seeing the saga of the freedom struggle, and if I had been born after 1947, then also I would have missed the post-

(Shri M. Kalyanasundaram)

freedom struggle. So, I am proud that I have had the experience of the freedom struggle and also, the post-freedom struggle. What is the experience? Why did the framers of or not take a bold decision whether a Legislative Council was while they were emphatic that for parliament the bicameral, essential? They created the Lok Sabha and created this, Rajya Sabha is not on the model of the British House of Commons and the House of Lords. This is different. This is unique. It is our own thinking or the basis of our own experience, our history, our tradition, our Rajya Sabha is not the Council of Lords, although in important question of procedure, practice we are following the British traditions because that was the country which introduced the parliamentary system first in the world. Britain is considered to be the mother of parliaments and, so, we are folio with regard to the procedure. But with regard to the structure our own perspective for the future.

Why should the Government hesitate when the question of abolition of the Councils come. When the Council exists, how the representation should be there, how they should be composed, is a different issue. Only trade unions and working class should get representation is a different issue. When we have introduced adult franchise, why do the workers and the peasants not get majority in Parliament and in the State Legislatures? It is a very important question which everyone of us should examine.

We have given adult franchise. Now the demand is for reducing the age of voting to 18 from 21. That will be a very important step if the Government agrees to it. Electoral reforms are necessary to see that people send their real representatives.

In the last session, immediately after the election, the Government came with a Bill for the prevention of defection. That was brought again under compulsion, not out of conviction, because having secured such a vast majority they were not sure that the entire majority would remain. It was only to prevent some of these people deserting and going to the Opposition.

Similarly, on the question of the Legislative Council, the Government should take a firm decision as early as possible. Don't keep this issue lingering and don't take a decision on the basis of ad hoc compulsions or conditions. Why I am speaking so emphatically for the abolition of the Legislative Council is, ours is a federal structure and a multi-party system. After 1967 the single party which was ruling has split up. The split up started first in 1952. In 1952 the Opposition became a majority party in the then composite State of Madras. All 63 communists formed an opposition front and elected the veteran freedom fighter, Shri T. Prakasam as the leader and sent a letter to the Governor. Then instructions came from the Centre not to accept it. Shri Rajaji was nothing at that time. He had seen everything. He served as Governor-General and then as a Minister. He was leading a retired life. They brought him and elected him as the leader and prevented non-Congress party from forming the Government. How did Rajaji come to Legislature to become Chief Minister? He was nominated to the Legislative Council. Not even elected. So, that is my first experience in 1952. I was sitting in the Opposition Benches. So, our experience shows that Legislative Council will be used for such purposes. What is given by right hand is taken away by the left hand. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu where non-Congress parties have come to power, for five years, the Legislative Council will be dominated by the party which was in power previously. The As-

sembly will have a different outlook and different orientation. The majority in the Council will be used against the Assembly. Leader of the Opposition in the Assembly and the Leader of the Opposition in the Council, they can act jointly and with the guidance from the Centre, they can be used for frustrating and defeating the policies of the majority in the Assembly. We have many States in our country. So, each State has its own experience, if a different party comes to power in a State other than the ruling party at the Centre, the Centre can use Legis-Council to defeat the non-Con-gress Governments. There is a contradiction between the Assembly and the Legislative Council, It is true that they can only delay the matters. For example, a radical Bill is brought for the conferment of land to the tenants or the take over of a temple land and onl er permanency to the tenant, it syed by the Legislative Council. So, because of this experience we are of the opinion that the Legislative Council should be abolished.

Even the framers of our Constitution were not so sure about it. If they were so sure that the Legislative Council in the States were essential then the Constitution would have been different. At the time of framing Constitution, opinions were divided. They have cleverly provided for the abolition of the Council and vested the powers in the State. The State Assembly can pass a Resolution and the Parliament must frame the Act. The framers of the Constitution -were not so sure about the need for a bicameral system at the State level. Our experience shows, in a federal structure with multi-party system, the Legislative Cotmcil in the State is not necessary and the State administration can function better. Therefore, I am for abolition of the Legislative Council as a whole. Nevertheless I welcome this Bill—not that I am supporting the principle. But if the Legislative Council remains, my friend has suggested some provision for the trade

,\* unions. Again I would ask my friend consider one thing. He is a com-i'mitted trade unionist with a left h.-I losophy and ideology. I have known him closely. I would ask him whether his Bill will provide for inclusion of NGOs. The NGOs have no trade union rights. When you right for participation of workers in the management of industry, should not the NGOs or the State Government employees be given an opportunity? Till now the position is that an NGO should resign his post and then contest an election, if he wants. Now even in your Bill that provision is not there. That is what I am pointing out. So these are important questions connecte with our political structure and Centre-State relations and how we will work the' multi-party system in our country. So I would appeal to the Government to consider it and refer the specific question, if necessary, to the Sarkaria Commission and take a final decision for the abolition of the Council. Or if you think retention is necessary, then come out with your proposal and justification so that the House and the country may know about it. For the time being, I am not sure whether the Governmen? is going to accept the Bill moved by my friend, Mr. Dhabe, but I leave it at that. I am neither enamoured of this Bill nor am I opposed to this Bill.

श्री श्री रान कर्न विष्णु (उत्तर प्रदेश) :  
उपसभाध्यक्ष महोदय, वह साधारण-सा विधेयक धरने जी ने पेश किया है। उन्होंने कहा कि कौंसिल में मजदूरों की नमायन्दगी होनी चाहिए। श्री हनुमदेव नारायण यादव जी ने इसको काफी व्यापक बना दिया। सभी जो माननीय सदस्य मुझे से पूर्व बोले रहे थे, उन्होंने तो कौंसिल रहे या न रहे, इस सवाल की भी इसके साथ जोड़ दिया है। इसलिए मेरे मन में भी कुछ कहने की इच्छा प्रकट हुई, वरना मेरी इच्छा बोलने की नहीं थी।

जनता में जनता की नमायन्दगी ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा स्थानों पर हो, यह मेरी बहुत मजबूत राय रही है। मैं



[श्री राम चन्द्र तिवारी]

हमेशा कौन्सिल के रखे जाने के हक में रहा है। उनके लिए तर्क भी जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कौन्सिल होनी चाहिए। हम एक तरफ तो मजदूरों का नुमायन्दगी की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ यह तर्क करते हैं कि कौन्सिल रहे या न रहे। अगर कौन्सिल ही नहीं रहेगी तो मजदूरों का नुमायन्दगी कौन करेगा? इसका जवाब मेरे पूर्व बक्ता महोदय कह रहे थे : मैं समझता हूँ कि यह तो आधे जी के बिल की भावनाओं के प्रतिकार है। एक तरफ वे मजदूरों की नुमायन्दगी को निवारण करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन्सिल की समाप्ति करने की बात कर रहे हैं। अगर कौन्सिल समाप्त हो जाएगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसी दोहरी नीति वे बोलते रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में रहा हूँ। जब कभी भी ऐम्बली के सदस्यों या कौन्सिल के सदस्यों के मतों की बात होती थी या उनके डी०ए०, डी०ए० की बात होती थी तो मैं हमेशा उसकी हिमायत करता था। लेकिन हमारे विरोधी बल के साथी उसका विरोध करते थे। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की बात करते थे, किन्तु विधान सभा होते थी तो वे जहाँ सबसे पहले बुकिंग्स किया करते थे। कई बार तो हम लोगों का उनकी तरफ से फलने का मित्रा बनता था। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की दोहरी नीति इस बिल के सदस्यों के मतों को नहीं अपनानी चाहिए। सब में कुछ चाहे, दिल में कुछ चाहे, लेकिन प्यास पर कुछ बोले, यह सामंतीय बात नहीं है। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि विधान परिषद् होनी चाहिए और कुछ चाहते हैं कि विधान परिषद् नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाने चाहिए। मैं सारे राज्यों में कौन्सिल का हिमायती हूँ। हम आज देख रहे हैं कि अधिकारियों की सेवा कितनी तेजी से दफ्तरों में बढ़ रही है। प्रत्येक स्थान पर वे बढ़ रहे हैं। उनकी तलखवाहें भी बढ़ती जा रही हैं। हम अभी उस पर सोचने भी नहीं हैं।

मैं अनेक दफ्तरों को जानता हूँ। अभी इस वर्ष मुझे आई०टी०ओ० के पास

एक दफ्तर है, जो मकानों के कर्ज का सर्टिफिकेट देता है, वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया।

11.30 बजे तक दफ्तर में कोई नहीं आया। मुझे कभी इस दफ्तर में भेज दें कभी उस दफ्तर में भेज दें। मैं भोला बनकर देखता रहा। उनकी हरकतों को। कभी कहते इधर जाओ कभी कहते उधर जाओ। जिधर वे कहते मैं उधर ही जाता। छेड़ घंटे तक मैंने यह तमाशा देखा। 11.30 बजे वे दफ्तरों में आना शुरू हुए और मुझे एक जगह बिठा दिया और सब आकर उनमें लड़कियाँ भी थी सब बातें करने लगे। कोई फाइल ही नहीं देख रहा था। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं मेम्बर आफ पार्लियामेंट हूँ तो वे मेरे पास आना शुरू हो गये और कहने लगे कि हमारे वहाँ इतने कर्मचारी बढ़ावाइए, हमारा काम बहुत बढ़ गया है। मैं उनकी बात सुनता रहा और कहा कि हाँ ठीक है आप अपनी माँग रखो। सब आकर मेरे पास जमा हो गये कि हमको इतने अधिकारी और इतने कर्मचारी और चाहिए। उनकी बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि भई मैं यहाँ 10 बजे आ गया था लेकिन 11.30 बजे तक दफ्तर में कोई हाज़िर नहीं था और सब आकर सारे काम खाली पड़े हैं। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मेरा उस चीज तो मैं तुम्हारी सेवा में कर रहा हूँ। एक तरफ तो सरकारों अधिकारियों का मत, डी०ए०, डी०ए० इतना बढ़ गया है और दूसरी तरफ हमारे विदे कौन्सिलों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं तो कानून और संविधान में जनता के नुमायन्दों के बारे में जो रखा गया है वह तो होना ही चाहिए। यह मेरी सज्जत राय है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है टाइप 8 बंगले जो होते हैं वे सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को अलग कर सकते हैं लेकिन मेम्बर आफ पार्लियामेंट को नहीं दे सकते हैं। अधिकारियों के अधिकार बढ़ रहे हैं लेकिन मेम्बर आफ पार्लियामेंट्स को कोई अधिकार नहीं है। अधिकारियों की तलखवाहें उनके अधिकार सब बढ़े हैं। मैंने सरकार का प्रोटोकल देखा उसमें मेम्बर आफ पार्लियामेंट का नम्बर 24वाँ है और डिप्टी सेक्रेटरी 23



पर आता है। मैम्बर आफ पार्लियामेंट को वह मकान नहीं दे सकते जो इनको मिलता है क्योंकि यह मकान उन्हीं को मिल सकता है जिनको 3 हजार रुपये वेतन मिलता है। लेकिन फिर तो मिनिस्टर को भी नहीं मिलना चाहिए उसको भी 2250 रुपये मिलते हैं। तब फिर मिनिस्टर को क्यों देते हों? यहां पर आपने अनेक ऐसी बातें कर रखी हैं जिससे डेमोक्रेसी पर विश्वास करने वालों को ठेस पहुंचती है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकारों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं पर काम के नाम पर कुछ नहीं करते। एक दफ्तर का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया है। वे देर से आयेंगे फिर चाय पीयेंगे। कभी अग्रेजों के राज में दफ्तरों में चाय होती थी? अब रिटायरिंग कम भी बनने लगे हैं। अग्रेजों के राज में क्या ऐसी व्यवस्था थी? लंच, चाय, रिटायरिंग कम...

एक माननीय सदस्य : काफी ब्रेक।

श्री रामचन्द्र विकल : जिस चीज में राजनीतिक लोगों की तादाद बढ़ने लगे, थोड़ा ज्यादा होने लगी तो उसको भी खत्म किया जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री शंकर प्रसाद मित्रा : बिल के बारे में बतलाइये।

श्री रामचन्द्र विकल : इन्होंने जरा आपक कर दिया, इसलिए इस पर मैंने भी थोड़ा सा कहा है। अभी माननीय सदस्य ने कौंसिल को खत्म करने की बात कही तो उसके लिये मैं तर्क दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि लेबर के नुमाइन्दे होने चाहिए। मैं भी इस बात का हिमायत करता हूँ। इस विधेयक में इन्होंने रखा है कि लेबर के नुमाइन्दे हों लेकिन अगर कौंसिल न हो, मैं कौंसिल का बहुत हिमायत हूँ, अगर कौंसिल नहीं होगी तो लेबर के नुमाइन्दे कहाँ होंगे? मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूँगा कि इस विधेयक में जो यह है कि लेबर के नुमाइन्दे होने चाहिए तो इसके लिये कौंसिल रहनी चाहिए। अगर आंध्र प्रदेश से

प्रपोजल आया है तो मैं सरकार से कहूँगा माननीय भरद्वाज जी से कहूँगा कि इसको स्वीकार न करें।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : यह नहीं रहनी चाहिए।... (व्यवधान)...

श्री रामचन्द्र विकल : यह रहनी चाहिए और यह बहुत से राज्यों में है।... (व्यवधान)...

जहाँ कौंसिल हैं उनका क्या करेंगे? कुछ राज्यों में कौंसिल हैं और चाहता हूँ कि इसको सब राज्यों में होना चाहिए। यह मेरी राय है कि वहाँ पर मजदूरों और किसानों के नुमाइन्दे होने चाहिए तभी मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का सफल प्रयोग हमारे देश में होगा। अगर कोई तकलीफ समझता है छोटी मोटी बातों को बोलने में तो यह नहीं होना चाहिए, हम चाहें इस हाउस के मेम्बर हैं लेकिन सही बात बोलने की आदत हमें होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं धावे साहब के बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री सत्यप्रकाश सातवीथ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री धावे जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है यह विधेयक है तो बहुत छोटा लेकिन इसके पीछे जो भावना है वह भावना बहुत बड़ी है और इसलिए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट 1935 के अन्तर्गत सब से पहले इस देश में जो प्रदेश हैं वहाँ के लिए विधान परिषदों को बनाने के लिए प्रावधान किया गया लेकिन जब हमारा संविधान 1949-50 में बना तो उस समय जिस और अभी माननीय विकल जी भी इशारा कर रहे थे यह अधिकार राज्यों को दिया गया कि अगर वे चाहें तो विधान परिषद रखें और अगर चाहें तो उनके यहां जो विधान परिषद बन चुकी है उस विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमारे देश में आज आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर यह सात प्रदेश हैं जहाँ

[श्री नरेश प्रभाश मानसबीर]

पर विधान परिषद है। इसके पहले मान्यवर, पंजाब और पश्चिम बंगाल विधान परिषदें थीं लेकिन वहाँ की विधान सभाओं के प्रस्तावों के अनुरूप उनको समाप्त कर दिया गया। जिस प्रकार का प्रस्ताव अभी आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा में पारित किया गया और जिसके सन्बन्ध में माननीय विधि मंत्री महोदय ने आज अपनी सरकार का रुख भी स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त मान्यवर, माननीय धावे जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें जहाँ एक ओर ग्रामिणों को, प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों की बात की है वहाँ दूसरी ओर जो राज्यपाल को नामांकन करने का अधिकार है उसमें धावे जी ने सुझाव दिया है कि पत्रकारिता क्षेत्र के लोग सहकारिता क्षेत्र के लोग, उल-बूढ़ के प्रतिनिधि, प्रौद्योगिकी के लोगों का नामांकन राज्यपाल यदि चाहें तो कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे संविधान में जो व्यवस्था है विधान परिषदों की गठन की उनकी चर्चा अनुच्छेद 171 में की गई है। अनुच्छेद 171 में इस बात का प्रावधान है कि किसी भी विधान परिषद की जो कुल संख्या है उसका एक बटा तीन जो हमारी स्थानीय निकाय संस्थाएँ हैं लोकल बाडीज हैं उनके प्रतिनिधि चुन कर के आएंगे। इसी प्रकार से पूरी विधान परिषद का एक बटा बारह सदस्य स्नातक तथा 1/12 अध्यापक क्षेत्र से चुन कर के आएंगे और एक बटा तीन भाग विधान सभा के सदस्य चुन कर के अपने प्रतिनिधि विधान परिषद में भेजेंगे। लेकिन जैसे कि माननीय कल्पनाथ राय जी कह रहे थे उन्होंने वहाँ पर चर्चा की और जितने प्रकार का प्रावधान है कि एक बटा तीन सदस्य लोकल ग्रामीज के प्रतिनिधि होंगे। और प्रदेशों की जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ पर कि विधान परिषद है वहाँ पर पिछले चार-पाँच वर्ष से एक बटा तीन जो स्थानीय निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं उनका कोई चुनाव ही नहीं हुआ है और इस प्रकार से विधान परिषद की वहाँ की जो पूरी संख्या है 22 के करीब उस के एक बटा तीन आज भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नहीं है। इसका कारण यह है कि उत्तर

प्रदेश में आप को जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसी लोकल बाडीज हैं जमे मुरादाबाद की नगरपालिका है जहाँ पर 55 से 60 कर के आज तक चुनाव नहीं हुआ। अलाहाबाद का म्युनिसिपल बोर्ड भी चुनाव 1981 के बाद के लिए कर चुका नहीं हुआ है और 1977 में ले कर के वहाँ की जो परिषद थी नगरपालिका, नगरमहापालिका या नोटिफाइड एरिया यह कुछ उदाहरण हैं यहाँ कोई भी संस्था गठित नहीं है क्योंकि यह पाँच वर्ष के लिए चुनी गई थी और उनका कार्यकाल अधिक हो चुका था इसलिए उनको भंग कर दिया गया। 1977 के बाद से ले कर आज 85 आ गया है चुनाव नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय विधि मंत्री जी निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे कि कम से कम जो संविधान निर्मातों की इच्छा थी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में आज एक बटा चार सदस्य के स्थान ऐसे हैं जो कि रिक्त पड़े हुए हैं।

माननीय कल्याणसुन्दरम जी ने इस बात की चर्चा की और उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि धारा 171 में जहाँ पर इस बात का प्रावधान है कि राज्यपाल नामांकन करेंगे और उसमें इस बात की चर्चा की गयी है कि जो लोग साहित्य के क्षेत्र में होंगे, विज्ञान के क्षेत्र में होंगे, कला के क्षेत्र में होंगे, सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में होंगे अथवा समाजसेवी होंगे, इन्हीं क्षेत्र के लोगों का नामांकन विधान परिषद में राज्यपाल के माध्यम से किया जायेगा। लेकिन कल्याणसुन्दरम जी ने अभी चर्चा की और राजा जी का दृष्टांत उपस्थित किया। वह तो केवल पहला ही दृष्टांत था, लेकिन तब से लेकर आज तक 12 ऐसे उदाहरण हो चुके हैं जहाँ पर कि विधान सभा के चुनाव में लोग हार गये, लेकिन पिछले दरवाजे से राज्यपाल के जरिये से उनको नामांकित करवा कर विभिन्न सूबों का मुख्य मंत्री बनाया गया, चाहे वह सूबा उत्तर प्रदेश का रहा हो या बम्बई का रहा है। तो मान्यवर, इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि इस ओर ध्यान जाना चाहिये

और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस प्रकार का नामांकन नहीं किया जाना चाहिये।

एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् 1970 में जो बिहार की विधान सभा थी, उसने भी प्रस्ताव पारित कर दिया था कि वहाँ की विधान परिषद् को समाप्त कर दो। यह प्रस्ताव अप्रैल में पारित किया था, लेकिन दिसम्बर 70 में एक दूसरा प्रस्ताव वहाँ की विधान सभा ने पारित किया कि उनके पहले प्रस्ताव को अप्रैल या मई 1974 तक लागू नहीं किया जाये। ठीक उसी तरह, शायद विकल जी उस समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा में थे—सन् 1970 की उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाये। यह अच्छा हुआ कि उसके बाद उस प्रस्ताव को केन्द्र की सरकार के पास आज तक नहीं भेजा गया और विधान परिषद् आज भी चल रही है। मैं इस बात की चर्चा इस लिए कर रहा हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जिन सूबों, राज्यों में विधान परिषद् नहीं है वहाँ पर भी विधान परिषदों को स्थापित करने का कदम उठाया जाना चाहिये और जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि अगर जरूरत हो तो इस संबंध में संविधान में संशोधन करना चाहिये और संशोधन करके उस बात को अवश्यक या मँडोरी कर दिया जाये कि जितने भी राज्य है वहाँ पर निश्चित रूप से विधान परिषद होगी।

माननीय धावे जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें धारा 171 में जहाँ पर राज्यपाल को अधिकार है वहाँ पर माननीय धावे जी ने इस बात का सुझाव दिया है कि जहाँ पर एक और साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों का नामांकन राज्यपाल करेंगे वहाँ पर पत्रकारिता, शारीरिक शिक्षा,

खेलकूद, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लोगों का नामांकन भी किया जाये। यह करके माननीय धावे जी ने ऐसे लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया है जो वास्तव में समाज के ऐसे अंग हैं जो राष्ट्र की सेवा करते हैं और समाज की महत्वपूर्ण सेवा करते हैं।

[उपसभापति महोदय पंढारसत हुई]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय धावे जी के विधेयक का समर्थन करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि माननीय कानून मंत्री जी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं वे इस सदन की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय धावे जी के विधेयक को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN; Shri Satyanarayan Reddy.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Madam Deputy Chairman, first of all, I would like to congratulate the Law Minister for the statement regarding the abolition of the Andhra Pradesh Legislative Council, because this is a long pending issue. As a matter of fact, the Andhra Pradesh Assembly passed a Resolution in 1983 requesting the Union Government for the abolition of the Council. At that time, though we pleaded with the Government, yet they could not take any steps in this direction. Again, the Legislative Assembly of Andhra Pradesh on the 30th of last month passed the same Resolution for the abolition of the Legislative Council. As a matter of fact, in 1983 I brought Mebers Resolution in this abolition of the Council the Government has decided to bring the legislation in this session for the abolition of the Legislative Council of Andhra Pradesh. I am very happy so far as this is concerned. •

Coming to the Resolution introduced by Mr. Dhabe, I would like to tell this House and the country that from the beginning we are not in favour of the Councils. As a matter of fact

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

the Constitution was framed and those who believe in socialism and social structure of the country have always said that it requires fundamental changes because after the Constitution has been framed, we have got so many amendments. So, I would like that the Government must think about it and instead of bringing so many amendments in the Constitution, they must convert the present Parliament into a Constituent Assembly and redraft the Constitution. It requires the abolition of the Legislative Councils where they are existing. At present there are no Legislative Councils in 17 States. There are Legislative Councils only in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. In the remaining States, there are no Legislative Councils. My friend from other side was pleading that the resolution passed by the Andhra Pradesh Legislative Assembly should not be given effect to. I would like to point out that under clause (1) of Article 169 of the Constitution the Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting." The Andhra Pradesh Legislative Assembly "Eas passed a resolution unanimously for recommending the abolition of the Legislative Council. This is the constitutional provision. So, their request to the Central Government not to accept the Resolution passed by the State Assembly has no meaning. The constitutional provision has to be accepted and the Government of India is doing it I am very happy about it. States were abolished. These are the facts. I would like to say

connection, taking advantage of this opportunity, 'that the Constitution requires redrafting.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ) :May I intervene? We are introducing the Legislative Council Abolition Bill, think we should discuss this issue there. This bill is on a different issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please refer to Mr. Dhabe's motion. His motion is about those Councils which are existing. You are speaking on something else.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: I have congratulated the Government for acceding to our request. What I want to tell this House and the Government is that the Constitution requires some amendments. We have made so many amendments to the Constitution. I am suggesting to the Government to convert this Parliament into a Constituent Assembly. There are questions like the right to recall, lowering the age from 21 years to 18 years, electoral reforms, land reforms etc. There are so many things and we went to change the society. We want drastic changes in order to improve the condition of the people. Our friend has spoken about socialism. How can you bring about socialism without bringing fundamental changes in the Constitution itself? It requires courages. It requires conviction. It requires a decision to do something. Only saying that you stand for socialism, for the removal of poverty and for the welfare of the society won't help. What I mean to say is that in order to do what you want to do, I think that there must be changes in the present Constitution. Secondly, why did the AP State take this decision? In this connection, I want to tell one thing. Their decision to abolish the Legislative Council was taken in order to avoid excessive expenditure and to achieve economy. Nearly Rs. 36,70,000 have

been earmarked for the AP Legislative Council, the Legislative Department and the General Administration Department in the Budget proposals for the year 1984-85. This amount could be saved and utilised for the welfare measures and the development of the State. If the State Legislative Council is abolished, this amount can be saved. Not only that. So many obstacles are created. My friend, Mr. Kalyanasundaram has stated that a new Government has come in Andhra Pradesh after the elections; they wanted to, take many measures for the welfare of the people but the Council tried to create obstacles, and that such things never happened in any other State. So ... .  
(Interruptions)

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: What is your view on the Bill?

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: I am coming to that. So far as this

THE DEPUTY CHAIRMAN. By the time you come to the Bill, the time will be over.

SHRI H. L. KAPUR (Nominated): The Law Minister has already stated that what my hon. friend is saying will be considered when the Bill comes up. I think, instead of wasting the time of the House, the hon. Member could talk on the Bill under consideration rather than talk about the MLCs.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Madam Deputy Chairman, my predecessors have spoken something about Andhra Pradesh. They have commented upon the Resolution passed by the AP Assembly. So, I had to refer to it. As a matter of fact, I have already congratulated the Law Minister for this. So far as Mr. Dhabe's present Bill is concerned, in the first instance, we are not for the Councils; we are opposed to the Council concept. We want to bring com-

plete changes in the Constitution if that is in our hands. So far as Mr. Dhabe's Bill is concerned, where the Councils are existing, he wants representation to the workers, to the farmers, and to the weaker sections. If they do not want to abolish the Council in Maharashtra, it is for them to decide. The Constitution provides for that. We do not want the Council. So, we do not want this. So far as Maharashtra is concerned, they have a Council. So, he wants representation there for the workers, etc. Let that be considered by the Government in respect of the Councils that are existing now. But if a State does not want any Council, let it be abolished. There should not be any misunderstanding. (Interruptions). As a matter of fact, I am against the existence of such a Council. So, I want a change in the Constitution itself.

With these remarks, Madam, I would like to congratulate once again the Law Minister for coming out with a statement that they are bringing a legislation in this session for abolishing the Legislative Council of Andhra Pradesh.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no time now for a reply.

SHRI S. W. DHABE: It will continue in the next session.

THE DEPUTY CHAIRMAN- Now the Leader of the House has to make a statement.

#### STATEMENT BY MINISTER

Reported statement by the Chief Minister of Maharashtra

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Madam, yesterday I tried to contact the Chief Minister of Maharashtra in the morning. He was away. So, late night I could have a telephonic talk with him. And he denied the statement attributed to him in the press. And he said that at no